

# डी पी एच सी एल DPHCL

## 13<sup>th</sup> वीं वार्षिक रिपोर्ट th ANNUAL REPORT 2019-20

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

**DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED**

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

K- Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : [dphcltd@yahoo.com](mailto:dphcltd@yahoo.com), [dphcltd@delhipolice.gov.in](mailto:dphcltd@delhipolice.gov.in)

Phone : 011-23490357 E-mail : [dphcltd@yahoo.com](mailto:dphcltd@yahoo.com), [dphcltd@delhipolice.gov.in](mailto:dphcltd@delhipolice.gov.in)

क्र.सं. SL.No.	विषय PARTICULARS	पृ.सं. PAGE No.
1.	कंपनी सूचना Company Information	1
2.	नोटिस Notice	2
3.	दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य Background And Function of DPHCL	6
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट Director's Report	10
5.	प्ररूप एमजीटी-9 वार्षिक विवरणी का सार Form No.MGT-9 Extract Of Annual Return	22
6.	कर योग्य आय की गणना Computation Of Taxable Income	31
7.	स्रोत पर कटौती का विवरण Details Of TDS	32
8.	तुलन-पत्र Balance Sheet	34
9.	लाभ और हानि का विवरण Statement of Profit and Loss	36
10.	नकद प्रवाह का विवरण Cash Flow Statement	38
11.	बैंक समाधान विवरण Bank Reconciliation Statement	40
12.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां Notes on Financial Statements	40
13.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	50
14.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी Comments Of The Comptroller And Auditor General Of India	62

# कंपनी सूचना

## COMPANY INFORMATION

### निदेशक मंडल (2019–2020)

#### Board of Directors (2019-2020)

श्री अमूल्य कुमार पटनायक  
Sh. Amulya Kumar Patnaik  
अध्यक्ष Chairman  
(दिनांक/w.e.f. 31-01-2017 से/to 29-02-2020)

श्री राजेश मलिक  
Sh. Rajesh Malik  
प्रबंधक निदेशक Managing Director  
(दिनांक/w.e.f. 04-12-2017 से/to 06-12-2019)

श्री सेनगोदन निथियानंदम  
Sh. Sengodan Nithianandam  
प्रबंधक निदेशक Managing Director  
(दिनांक/w.e.f. 10-01-2020 से/to 31-08-2020 )

श्री श्रीशैल मल्गे  
Sh. Shreeshail Malge  
नामित निदेशक Nominee Director  
(दिनांक/w.e.f. 08-01-2019 से/to 01-10-2020)

श्री अजय कुमार गर्ग  
Sh. Ajay Kumar Garg  
नामित निदेशक Nominee Director  
(दिनांक/w.e.f. 04-04-2019 से/to 30-08-2019)

श्री राम कृष्ण मल्होत्रा  
Sh. Ram krishan Malhotra  
नामित निदेशक Nominee Director  
(दिनांक/w.e.f. 06-12-2019 से/to 30-04-2020)

श्री देवेन्द्र नाथ सिंह  
Sh. Devendra Nath Singh  
नामित निदेशक Nominee Director  
(दिनांक/w.e.f. 01-01-2020 से/to 01-10-2020)

#### सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स ए के जैन एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

52/58, रामजस रोड करोल बाग  
नई दिल्ली- 110005,  
फोन नं.-28720680,9350857962

#### Statutory Auditors

M/s. A K Jain and Associates  
Chartered Accountants

52/58, Ramjas Road, Karol Bagh ,  
New Delhi – 110005  
Ph. 28720680,9350857962

#### बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक  
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

#### Bankers

State Bank of India  
I. P. Estate, New Delhi-110002

#### पंजीकृत कार्यालय :

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड  
के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,  
नई दिल्ली-110002

#### Registered Office :

Delhi Police Housing Corporation Limited  
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,  
New Delhi – 110002

# दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

## नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के सदस्य गणों की 13वीं वार्षिक आम बैठक 31 दिसम्बर, 2020 गुरुवार को अपराह्न 04:00 बजे पुलिस आयुक्त कार्यालय, नवीन पुलिस मुख्यालय बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

### सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों सहित 31 मार्च, 2020 के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के लाभ और हानि का लेखा तथा उसके साथ संलग्न अनुसूचियों सहित निगम के वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना, अपनाना।
2. वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाना और और निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

**“संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार का पारिश्रमिक निर्धारित को करने लिए अधिकृत किया जाता है।”

### विशेष कार्य:

3. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

**“संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 के प्रावधानों के अनुसार श्री रॉबिन हिबू, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली (डिन: 08897332), जिन्हें दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को आयोजित बैठक में अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं और उन्हें एतद्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाला स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।”

**“यह भी संकल्प किया जाता है कि** दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से श्री रॉबिन हिबू, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे।”

4. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

**“संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 के प्रावधानों के अनुसार श्री सच्चिदानंद श्रीवास्तव, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, दिल्ली (डिन: 08897384), जिन्हें दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को आयोजित बैठक में अपर निदेशक के पद पर

# DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Regd. office: K- Block Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

CIN No.: U4500DL2007GOI170534

PHONE : 011- 23490357, Email : dphcltd@yahoo.com

## NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MAMBERS OF **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** WILL BE HELD ON MONDAY, THE 31<sup>ST</sup> DAY OF DECEMBER 2020 AT 4:00 PM. IN THE OFFICE OF CP, DELHI, NEW POLICE HEADQUARTERS BLDG., JAI SINGH ROAD, NEW DELHI TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESSES:

### **ORDINARY BUSINESS:**

1. To consider the audited financial statements of the Corporation for the Finaical Year ended 31<sup>st</sup> March 2020 including Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2020 and the Statement of Profit and Loss account for the period ended on that date and schedules annexed together thereto, together with Reports of Statutory Auditors for that year.
2. To fix the remuneration of Statutory Auditors of the Company for the Finaancial year 2020-21 appointed by the Comptroller and Auditor General of India and to pass the following resolution an **Ordinary Resolution:**

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions Section139(5) and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 and rules framed there under, the Board of Directors of the company be and are hereby authorised to fix the remuneration of Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the Financial year 2020-21."

### **SPECIAL BUSINESS:**

3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution:**

**"RESOLVED THAT** in accordance with applicable provisions of the Commpanies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articcles of Association of the Company, Sh.Robin Hibu,IPS, Spl. CP, Delhi (DIN-08897332), who was appointed as a Additional Director with effect from 1<sup>st</sup> October, 2020 and who hold office up to the date of this Annual General Metting be and is hereby appointed as a Director not liable to retire by rotation."

**"RESOLVED FURTHER THAT** Sh.Robin Hibu, IPS, Spl. CP, Delhi , will continue to work as Managing Directors of the Company w.e.f. 1<sup>st</sup> October, 2020"

4. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution:**

**"RESOLVED THAT** in accordance with applicable provisions of the Commpanies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articcles of Association of the Company, Sh. Sachchida Nand Shrivastava, IPS, Commissioner of Police, Delhi (DIN-08897384), who was appointed as a

नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं और उन्हें एतद्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाला स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।”

“संकल्प किया जाता है कि दिनांक 6 मार्च, 2020 के बोर्ड के संकल्प के अनुसार श्री सच्चिदानंद श्रीवास्तव, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, दिल्ली कम्पनी के निदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे।”

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से  
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 31.12.2020

( रॉबिन हिबू )  
डिन-08897332  
प्रबंध निदेशक

**व्याख्यात्मक विवरण**  
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में)

**मद सं.: 3**

श्री रॉबिन हिबू, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, उन्हें इसी के साथ दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपर निदेशक अपनी नियुक्ति के बाद आयोजित वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक अपने पद का भार संभालेंगे।

बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार श्री रॉबिन हिबू, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली की निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, के पद पर नियुक्त के लिए अनुमोदन संस्तुत करता है।

श्री रॉबिन हिबू, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को छोड़कर कोई भी निदेशक इस प्रस्तावित संकल्प में रुचि नहीं ले रहे हैं।

**मद सं.: 4**

श्री सच्चिदानंद श्रीवास्तव, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, उन्हें इसी के साथ दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अपर निदेशक अपनी नियुक्ति के बाद आयोजित वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक अपने पद का भार संभालेंगे।

बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार श्री सच्चिदानंद श्रीवास्तव, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, दिल्ली की निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, के पद पर नियुक्त के लिए अनुमोदन संस्तुत करता है।

श्री सच्चिदानंद श्रीवास्तव, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को छोड़कर कोई भी निदेशक इस प्रस्तावित संकल्प में रुचि नहीं ले रहे हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से  
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.


स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 31.12.2020

( रॉबिन हिबू )  
डिन-08897332  
प्रबंध निदेशक

Additional Director w.e.f. 1<sup>st</sup> October, 2020 and who hold office up to the date of this Annual General Meeting be and is hereby appointed as a Director not liable to retire by rotation."

**"RESOLVED FURTHER THAT** Sh.Sachchida Nand Shrivastava, IPS, Commissioner of Police, Delhi , will continue to work as Managing Directors of the Company w.e.f. 1<sup>st</sup> October, 2020"

**By the order of Board  
For Delhi Police Housing Corporation Limited**



(Robin Hibu)  
Managing Director  
DIN No. 08897332

Place : New Delhi  
Date : 31.12.2020

### **EXPLANATORY STATEMENT**

**(PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT 2013)**

#### **ITEM NO. 3**

Sh. Robin Hibu, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi, was appointed as an Additional Director w.e.f. 1<sup>st</sup> October, 2020 who simultaneously was appointed as Managing Director of the Company w.e.f. 1<sup>st</sup> October, 2020. the Additional Director holds the office till the conclusion of the Annual General Meeting held after his appointment.

The Board recommends the approval of resolution for appointment of Sh. Robin Hibu, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi as Director not liable to retire by rotation, Pursuant to section 161 of Companies Act, 2013 by the shareholders by way of ordinary resolution.

None of the Directors except Sh. Robin Hibu, IPS, Special Commissioner of Police, Delhi is interested in the proposed resolution.


#### **ITEM NO. 4**

Sh. Sachchida Nand Shrivastava, IPS, Commissioner of Police, Delhi, was Appointed as an Additional Director w.e.f. 1<sup>st</sup> October, 2020 who simultaneously was appointed as Chairman of the Company w.e.f. 1<sup>st</sup> October, 2020. the Additional Director holds the office till the conclusion of the Annual General Meeting held after his appointment.

The Board recommends the approval of resolution for appointment of Sh. Sh. Sachchida Nand Shrivastava, IPS, Commissioner of Police, Delhi as Director not liable to retire by rotation, Pursuant to section 161 of Companies Act, 2013 by the shareholders by way of ordinary resolution.

None of the Directors except Sh. Sachchida Nand Shrivastava, IPS, Commissioner of Police, Delhi is interested in the proposed resolution.

**By the order of Board  
For Delhi Police Housing Corporation Limited**



(Robin Hibu)  
Managing Director  
DIN No. 08897332

Place : New Delhi  
Date : 31.12.2020

## दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए है।

### निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परियोजना के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि की अधिग्रहण, गतिविधि घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

(i)	प्रबंध निदेशक	एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी
(ii)	पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक	सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर – एक	
(iv)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर – दो	
(v)	महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक	प्रतिनियुक्ति पर

(i)	The Managing Director	An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre
(ii)	Superintending Engineer- One	Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs
(iii)	Executive Engineer – One	
(iv)	Assistant Executive Engineer – Two	
(v)	General manager (Finance) – cum- Company Secretary- One	On Deputation

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

## BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Note for the Cabinet and incorporated in Dated 16th November' 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

### OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.



### वर्तमान संगठनात्मक संरचना :-

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012- यूटीपी के द्वारा डीपीएचसी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का सूचित अनुमोदन निम्नानुसार है:

1. सरकारी निदेशक - दो
2. स्वतंत्र निदेशक - दो
3. कार्यकारी निदेशक - दो

**सरकारी निदेशक :-** डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली - पदेन अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

**स्वतंत्र निदेशक :** डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर-सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

**कार्यकारी निदेशक :** डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**वर्गीकरण :** डीपीएचसीएल को लोक उद्यम विभाग द्वारा अनुसूची 'ग' सीपीएसई कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

**पंजीकरण :** डीपीएचसीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U4500DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

### PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex Officio).
2. Special Commissioner of Police as Managing Director (Ex Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.
5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.
6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two
2. Independent Director - Two
3. Functional Director - Two

**GOVERNMENT DIRECTORS :-** As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.
2. One representative from Ministry of Home Affairs.

**INDEPENDENT DIRECTORS :-** As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

**FUNCTIONAL DIRECTORS :-** As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

**CATEGORISATION :-** DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

**REGISTRATION :-** DPHCL was registered under the Companies Act 1956 ( No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U4500DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

**व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र :** डीपीएचसीएल ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

**निगम के प्रचालन का क्षेत्र :** संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में, निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष से चल रही 5 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

### विलंब का कारण

गृह मंत्रालय ने अपने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यू.टी.पी. अनुभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के दिनांक 2 फरवरी, 2021 के पत्र फाइल सं. 14012/1/2019 –यूटीपी (पार्ट-II) (सीएफ 3517459) द्वारा लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी-11067/17/2019 सीबी II के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक लेखा और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक रिपोर्टें/अभियुक्तियों को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) किताब रूप में सभा पटल पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया है।

इस संबंध में यह बताया जाता है कि कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08.09.2020 के आदेश सं. आरओसी/दिल्ली/समप्र विस्तार/2020/11538 के द्वारा अधिनियम की धारा 96 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिनांक 31.12.2020 तक वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए समय अवधि बढ़ायी है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के दिनांक 30.12.2020 को पत्र सं. एएमजी-1/पीएसयू/डीपीएचसीएल/9-26/2020-21/353 प्राप्त हुई और दिनांक 31.12.2020 को वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई थी। आरओसी की ये सभी औपचारिकताएं समय पर कर ली गईं। अतएव, कोई देरी नहीं हुई।

**CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS :** DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

**AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :-** The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Presently, the Corporation has undertaken five ongoing projects from the Land and Building Cell of Delhi Police.

### REASON FOR DELAY

MHA's vide letter file No. 14012/1/2019- UTP(Pt-II) (CF 3517459), Govt. of India, Ministry of Home Affairs, U.T.P. Section, North Block, New Delhi dated 2nd February, 2021 asked to furnish the Annual Accounts and C&AG Reports/comments for the Financial year 2019-2020 in Booklet form in bilingual (Hindi & English) for laying on the table of the House in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-11067/17/2019 CB-II dated 6th September-2019.

In this regard it is stated that the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, Ministry of Corporate Affairs, Govt of India vide Order No. ROC/Delhi/AGM Ext./2020/11538, dated 08.09.2020 has extended the time for holding of Annual General Meeting (AGM) upto 31.12.2020 for the financial year ended on 31.03.2020 in accordance with the provisions of sub-section (1) to section 96 of the Act.

The report of Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has been received vide letter AMG-I/PSU/ DPHCL/9-26/2020-21/353 dated 30.12.2020 and the AGM of the Corporation was held on 31.12.2020. All the essential formalities of ROC have been completed well in time. Hence, there is no delay.

## विलंब कथन

गृह मंत्रालय ने अपने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यू.टी.पी. अनुभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के दिनांक 2 फरवरी, 2021 के पत्र फाइल सं. 14012/1/2019 –यूटीपी (पार्ट-II) (सीएफ 3517459) द्वारा लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी-11067/17/2019 सीबी II के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक लेखा और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक रिपोर्टें/अभियुक्तियों को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) किताब रूप में सभा पटल पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया है।

इस संबंध में यह बताया जाता है कि कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08.09.2020 के आदेश सं. आरओसी/दिल्ली/समग्र विस्तार/2020/11538 के द्वारा अधिनियम की धारा 96 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिनांक 31.12.2020 तक वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए समय अवधि बढ़ायी है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के दिनांक 30.12.2020 को पत्र सं. एएमजी-1/पीएसयू/डीपीएचसीएल/9-26/2020-21/353 प्राप्त हुई और दिनांक 31.12.2020 को वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई थी। आरओसी की ये सभी औपचारिकताएं समय पर कर ली गईं। अतएव, कोई देरी नहीं हुई।

## DELAY STATEMENT

MHA's vide letter file No. 14012/1/2019- UTP(Pt-II) (CF 3517459), Govt. of India, Ministry of Home Affairs, U.T.P. Section, North Block, New Delhi dated 2nd February, 2021 asked to furnish the Annual Accounts and C&AG Reports/comments for the Financial year 2019-2020 in Booklet form in bilingual (Hindi & English) for laying on the table of the House in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-11067/17/2019 CB-II dated 6th September-2019.

In this regard it is stated that the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, Ministry of Corporate Affairs, Govt of India vide Order No. ROC/Delhi/AGM Ext./2020/11538, dated 08.09.2020 has extended the time for holding of Annual General Meeting (AGM) upto 31.12.2020 for the financial year ended on 31.03.2020 in accordance with the provisions of sub-section (1) to section 96 of the Act.

The report of Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has been received vide letter AMG-I/PSU/ DPHCL/9-26/2020-21/353 dated 30.12.2020 and the AGM of the Corporation was held on 31.12.2020. All the essential formalities of ROC have been completed well in time. Hence, there is no delay.

## निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशकगणों को कंपनी के व्यापार और प्रचालन पर 13वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिका प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

### 1. व्यापार और प्रचालन:

निगम की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, संरचना निर्माण या मरम्मत करना है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। निगम को सौंपी गई सभी परियोजनाओं में से केवल द्वारका सेक्टर 9 की परियोजना को छोड़कर सभी परियोजनाएं पूर्ण हुईं। जिसमें केवल छुटपुट कार्य ही शेष रहा है।

### 2. वित्तीय सार अथवा विषेताएं:

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन का सार इस प्रकार है:

## DIRECTOR'S REPORT

To The Members,

The Directors of your Company have pleasure in Presenting their 13<sup>th</sup> Annual Report on the business and operations of the Company and Audited financial statements for the financial year ended on 31<sup>st</sup> March, 2020.

### 1. Business and Operations:

The main activity of the Corporation is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other building of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Out of all projects assigned to the corporation, all projects were completed except project at Sector 9 Dwarka which is almost completed as minor work is left only.

### 2. Financial Summary or Highlights:

The financial performance, for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 is summarized as:

(राशि रुपयों में / Amount in Rupees)

विवरण	Particulars	वित्तीय वर्ष / FY2019-20	वित्तीय वर्ष / FY2018-19
प्रचालन से राजस्व (आय) (निवल)	Revenue from operations (net)	-	-
अन्य आय	Other income	16,161,254	57,812,431
<b>कुल राजस्व</b>	<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>16,161,254</b>	<b>57,812,431</b>
व्यय	EXPENDITURE	8,144,243	50,212,609
असाधारण मदों से पूर्व लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) before Extra Ordinary items	8,017,011	7,599,821
जोड़ें : अपवादात्मक वस्तुएं	Add: Exceptional Items	-	-
घटाएं: असाधारण मदें	Less: Extra-ordinary Items	-	-
घटाएं: कर-निर्धारण के लिए प्रावधान	Less: Provision for taxation		
वर्तमान कर	Current Tax	2,017,822	1,978,073
आस्थगित कर	Deferred Tax	-	-
<b>वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ / (हानि)</b>	<b>Profit/(Loss) after Tax for the year</b>	<b>5,999,189</b>	<b>5,621,749</b>

### 3. कंपनी कार्य का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी में कोई बिक्री नहीं है और लाभ पिछले वित्तीय वर्ष में रु. 5,621,749/- से बढ़कर चालू वित्तीय वर्ष में रु. 5,999,189/- हो गया है।

### 3. STATE OF COMPANY'S AFFAIRS

During the financial year under review, there is no sales in the company and profits have increased from Rs. 5,621,749/- in the previous financial year to Rs. 5,999,189/- in the current financial year.

### **लाभांश:**

आपकी कंपनी के निदेशकगणों ने समग्र रूप से प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और कंपनी की लाभांश वितरण नीति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि यह विवेकपूर्ण होगा कि समीक्षाधीन वर्ष के लिए कोई लाभांश संस्तुत नहीं किया जाए।

### **सावधि जमा**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के साथ पठित और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अर्थ के दायरे में जनता से कोई निवेश नहीं स्वीकारा है।

### **अंश पूँजी**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ना ही प्राधिकृत अंश पूँजी बढ़ायी है और ना ही कोई शेयर जारी किए हैं इसलिए प्राधिकृत अंश पूँजी रु.10,00,00,000/- (प्रति रु.100/- की दर से 10,00,000 ईक्विटी शेयर में विभाजित) और प्रदत्त पूँजी रु.5,00,00,000/- (प्रति रु. 100/- की दर से 5,00,000 ईक्विटी शेयर में विभाजित) किया गया है।

### **आरक्षित**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु.5,999,189/- का लाभ अर्जित किया है जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के आरक्षित लेखे में अंतरित किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2020 को कुल आरक्षित रु. 73,333,848/- बना।

### **कॉर्पोरेट गवर्नेंस**

आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि उत्तम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्य प्रणाली की पहचाना जाए, अपनाया जाए और उसका पालन किया जाए। आपकी कंपनी का मानना है कि सुशासन गवर्नेंस के स्थायी विकास और हितधारक मूल्य में वृद्धि के लिए आधार है।

### **निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**

निगम के गठित निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं जो विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में दिनांक 31.03.2020 को निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है:

1. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  
श्री सेनगोदन निथियानंदम, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
2. नामित निदेशक  
श्री श्रीशैल मल्गे, आईआरएस, निदेशक, गृह मंत्रालय, दिल्ली।
3. नामित निदेशक  
श्री राम कृष्ण मल्होत्रा, निदेशक, दिल्ली विकास प्राधिकरण।
4. नामित निदेशक  
श्री देवेंद्र नाथ सिंह, निदेशक/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विशेष सचिव, गृह मंत्रालय ;सदस्य)

### **Dividend:**

The Board of Directors of you Company, after considering holistically the relevant circumstances and keeping in view the company's dividend distribution policy, has decided that it would be prudent, not to recommend any Dividend for the year under review.

### **FIXED DEPOSITS**

During the year under review, the Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of Section 73 read with Chapter V of the Companies Act, 2013 and Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014 as amended from time to time.

### **SHARE CAPITAL**

The Company, during the financial year under review, has not increased the authorised share capital and has not issued any further shares, so the authorised share capital stands at Rs. 10,00,00,000/- (divided into 10,00,000 equity shares of Rs. 100/- each) and paid up capital stands at Rs. 5,00,00,000/- (divided into 5,00,000 equity shares of Rs. 100/- each).

### **RESERVES**

During the year under review, the company has earned a profit of Rs. 5,999,189/- were transferred to the Reserves and Surplus Account during the financial year 2019-20. Total reserves as on 31st March, 2020 stands at Rs. 73,333,848/-.

### **CORPORATE GOVERNANCE**

Your Company strives to ensure that best Corporate Governance practices are identified, adopted and consistently followed. Your company believes that good governance is the basis for sustainable growth of the business and for enhancement of stakeholder value.

### **DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL**

The Board of the Corporation is duly constituted, consisting of Chairman and Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi. The Composition of the Board as on 31.03.2020 at the end of the Financial Year 2019-20 is:

1. Chairman & Managing Director  
Shri Sengodan Nithianandam, IPS, Spl. Commissioner of Police, Delhi
2. Nominee Director  
Sh. Shreeshail Malge, IRS, Director MHA, Delhi
3. Nominee Director  
Sh. Ram Krishan Malhotra, Director, DDA
4. Nominee Director  
Sh. Devendra Nath Singh, Director/GNCTD, Spl. Secy. Home (Member)

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :-
- क श्री सेनगोदन निथियानंदम, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को दिनांक 10 जनवरी, 2020 को अपर निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- ख श्री देवेन्द्र नाथ सिंह, निदेशक/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विशेष सचिव, गृह मंत्रालय ;सदस्य) को दिनांक 10 जनवरी, 2020 की बैठक में निगम के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- ग श्री अजय कुमार गर्ग, विशेष सचिव, ;गृह मंत्रालय-II), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिनांक 04 अप्रैल, 2019 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से निगम के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- घ श्री अजय कुमार गर्ग, विशेष सचिव, ;गृह मंत्रालय-II), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिनांक 30 अगस्त, 2019 से उनके स्थानांतरण के कारण निगम के नामित निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।
- ङ श्री अमूल्य कुमार पटनायक, आईपीएस, पुलिस आयुक्त दिल्ली को दिनांक 29 फरवरी, 2020 को उनके अधिवर्षिता के कारण निगम के निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।
- च श्री राजेश मलिक, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को दिनांक 06 दिसंबर, 2019 से को उनके अधिवर्षिता के कारण निगम के निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।

### **13वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक का प्रस्तावित नियमन**

1. श्री सच्चिदानंद श्रीवास्तव, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में निगम के अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और वे इस वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक पद का कार्यभार संभालेंगे, उन्हें रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाला निदेशक नियुक्त किया जा सकता है तथा बोर्ड उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है।
2. श्री रॉबिन हिबू, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, को दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में निगम के अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और वे इस वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक पद का कार्यभार संभालेंगे, उन्हें रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाला निदेशक नियुक्त किया जा सकता है तथा बोर्ड उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है।

### **स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा**

स्वतंत्र निदेशक संबंधी कंपनी(निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएँ) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और 149(7) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

1. During the period under review, there was change in the composition of Board of Directors of the Company.
  - a. Shri Sengodan Nithianandam, IPS, Special Commissioner Of Police, Delhi, appointed as an Additional Director and Managing Director on 10<sup>th</sup> January, 2020.
  - b. Shri Devendra Nath Singh, Director/GNCTD, Spl. Secy. Home (Member) appointed as Nominee Director of the Corporation held on 01<sup>st</sup> January, 2020.
  - c. Shri Ajay Kumar Garg, Special Secretary (Home-II), GNCT of Delhi Appointed as a Nominee Director of the Corporation on behalf of the Government of National Capital territory of Delhi on 04<sup>th</sup> April, 2019.
  - d. Shri Ajay Kumar Garg, Special Secretary (Home-II), GNCT of Delhi ceased to be the Director of the Corporation due to his transfer with effect from 30<sup>th</sup> August, 2019.
  - e. Shri Amulya Kumar Patnaik, IPS, Commissioner of Police, Delhi ceased to be the Director of the Corporation due to superannuation with effect from 29<sup>th</sup> February, 2020.
  - f. Shri Rajesh Malik, IPS, Spl. Commissioner of Police, Delhi ceased to be the Director of the Corporation due to his superannuation with effect from 06<sup>th</sup> December, 2019.

### **Proposed Regularisation of Director in the 13th AGM**

1. Shri Sachchida Nand Shrivastava, IPS, Commissioner of Police, Delhi was appointed as an Additional Director of the Corporation in the Board Meeting held on 1<sup>st</sup> October, 2020 and who holds office up to the date of this Annual General Meeting is hereby proposed to be appointed as director not liable to retire by rotation and the Board recommends his appointment as such.
2. Shri Robin Hibu, IPS, Spl. Commissioner of Police, Delhi was appointed as an Additional Director of the Corporation in the Board Meeting held on 1<sup>st</sup> October, 2020 and who holds office up to the date of this Annual General Meeting is hereby proposed to be appointed as director not liable to retire by rotation and the Board recommends his appointment as such.

### **DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS**

Provisions of Section 149(6) & 149(7) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, related to independent directors, are not applicable to the Company.

## वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल और समिति की बैठक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल की बैठक और समिति की बैठकों की संख्या कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक भाग है

### i) बोर्ड मीटिंग

बोर्ड के सदस्य दो बोर्ड की बैठकों के बीच तिमाही में कम से कम 120 दिनों के अंतराल में एक बार मिलते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल की 4 (चार) बैठकें नीचे दिए अनुसार हुईं:

क्रम संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख	दो बैठकों के बीच समय अंतराल
1	27 जून, 2019	120 दिनों से कम दिन में
2	7 अगस्त, 2019	120 दिनों से कम दिन में
3	1 नवंबर, 2019	120 दिनों से कम दिन में
4	24 जनवरी, 2020	120 दिनों से कम दिन में

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों की उपस्थिति का ब्योरे नीचे दिए जा रहे हैं:-

क्रम संख्या Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	डिन संख्या DIN No.	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति का विवरण Attendance particulars in Board Meetings			
1	श्री सेनगोदन निथियानंदम, आईपीएस, (प्रबंध निदेशक) Sh. Sengodan Nithianandam IPS (Managing Director)	06943635	एक बैठक / 1 Meetings			
			1ली तिमाही 1st Qtr.	2री तिमाही 2nd Qtr.	3री तिमाही 3rd Qtr.	4थी तिमाही 4th Qtr.
			-	-	-	24.01.2020
			-	-	-	-
			-	-	-	-
2	श्री श्रीशैल मल्गे (नामित निदेशक) Sh. Shreeshail Malge (Nominee Director)	08323795	चार बैठक / 4 Meetings			
			1ली तिमाही 1st Qtr.	2री तिमाही 2nd Qtr.	3री तिमाही 3rd Qtr.	4थी तिमाही 4th Qtr.
			-	27.06.19	01.11.19	24.01.2020
3	श्री देवेन्द्र नाथ सिंह (नामित निदेशक) Sh. Devendra Nath Singh (Nominee Director)	08660423	एक बैठक / 1 Meetings			
			1ली तिमाही 1st Qtr.	2री तिमाही 2nd Qtr.	3री तिमाही 3rd Qtr.	4थी तिमाही 4th Qtr.
			-	-	-	24.01.2020
4	श्री राम कृष्ण मल्होत्रा, (नामित निदेशक) Sh. Ram Krishan Malhotra (Nominee Director)	08631326	एक बैठक / 1 Meetings			
			1ली तिमाही 1st Qtr.	2री तिमाही 2nd Qtr.	3री तिमाही 3rd Qtr.	4थी तिमाही 4th Qtr.
			-	-	-	24.01.2020
			-	-	-	-
			-	-	-	-

## DETAILS OF BOARD AND COMMITTEE MEETINGS HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2019-2020:

The details pertaining to the number of board and committee meetings held during the financial year 2019-20 forms part of the Corporate Governance Section.

### i) Board Meetings

The Board members meet at least once in a quarter with not more than a gap of 120 days between two consecutive board meetings. Board met 4 (four) times during the Financial Year 2019-20 as per the details given here under:

Sl. No.	Date of Board Meeting	Time Gap between two meetings
1	27 <sup>th</sup> June, 2019	Less than 120 days
2	7 <sup>th</sup> August, 2019	Less than 120 days
3	1 <sup>st</sup> November, 2019	Less than 120 days
4	24 <sup>th</sup> January, 2020	Less than 120 days

Details of attendance of Directors in Board Meetings held during the financial year 2019-20 are as under:

लेखा परीक्षा समिति के गठन का प्रकटन

**Disclosure Of Composition Of Audit Committee:**

दिनांक 31.03.2020 को लेखा परीक्षा समिति का गठन:

Composition of Audit Committee as on 31.03.2020:

क्रम संख्या Sl. No.	समिति के सदस्यों का नाम Name of the Committee Member	समिति के पदनाम Designation on the Committee	बोर्ड के लिए पदनाम Designation on the Board
1	श्री सेनगोदान निथियानंदम, आईपीएस, Sh. Sengodan Nithianandam IPS	अध्यक्ष Chairman	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक Non-Executive Independent Director
2	श्री श्रीशैल मल्गे Sh. Shreeshail Malge	सदस्य Member	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक Non-Executive Independent Director
3	श्री देवेन्द्र नाथ सिंह Sh. Devendra Nath Singh	सदस्य Member	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director

दिनांक 23.12.2020 को लेखा परीक्षा समिति का गठन:

Composition of Audit Committee as on 23.12.2020:

क्रम संख्या Sl. No.	समिति के सदस्यों का नाम Name of the Committee Member	समिति के पदनाम Designation on the Committee	बोर्ड के लिए पदनाम Designation on the Board
1	श्री सच्चिदानंद श्रीवास्तव, आईपीएस Sh. Sachchida Nand Shrivastava, IPS	अध्यक्ष Chairman	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक Non-Executive Independent Director
2	श्री रॉबिन हिबू , आईपीएस Sh. Robin Hibu, IPS	सदस्य Member	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक Non-Executive Independent Director
3	श्री श्रीप्रकाश अग्रवाल Sh. Shri Prakash Agarwal	सदस्य Member	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या और उसकी उपस्थिति संबंधी विवरण का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:-

The details pertaining to the number of audit committee meetings held during the financial year 2019-20 and attendance thereof is mentioned below;

क्रम संख्या Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	डिन संख्या DIN No.	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण Attendance in Audit Committee Meetings			
1	श्री सेनगोदान निथियानंदम, आईपीएस, अध्यक्ष Sh. Sengodan Nithianandam IPS Chairman	06943635	पहली बैठक / 1 Meetings			
			1ली तिमाही 1st Qtr.	2री तिमाही 2nd Qtr.	3री तिमाही 3rd Qtr.	4थी तिमाही 4th Qtr.
			07.08.19			
2	श्री श्रीशैल मल्गे सदस्य Sh. Shreeshail Malge Member	08323795	पहली बैठक / 1 Meetings			
			1ली तिमाही 1st Qtr.	2री तिमाही 2nd Qtr.	3री तिमाही 3rd Qtr.	4थी तिमाही 4th Qtr.
			07.08.19			
3	श्री देवेन्द्र नाथ सिंह सदस्य Sh. Devendra Nath Singh Member	08660423	पहली बैठक / 1 Meetings			
			1ली तिमाही 1st Qtr.	2री तिमाही 2nd Qtr.	3री तिमाही 3rd Qtr.	4थी तिमाही 4th Qtr.
			07.08.19			



लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया। लेखा परीक्षा समिति का गठन और संदर्भ की शर्तें अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार हैं।

समिति का प्राथमिक उद्देश्य प्रबंध वित्तीय रिपोर्टिंग की उच्च स्तरीय पारदर्शिता, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ अचूक एवं समय से प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए समिति की वित्तीय प्रक्रिया को अनुवीक्षण करना और प्रभावी पर्यवेक्षण करना है।

#### **नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति**

‘नामांकन और पारिश्रमिक समिति’ संबंधी कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधान के अनुसरण में ‘हितधारक संबंध समिति’ कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी के पास कभी भी 1000 से अधिक शेयरधारक, डिबेंचर-धारक, निवेश-धारक और अन्य कोई प्रतिभूति-धारक नहीं है।

#### **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति**

लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति गठित की है तथा समीक्षाधीन वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठक कभी नहीं हुई क्योंकि निगम, कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आती है, अतः निगम को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों पर योगदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

#### **प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक तथा कर्मचारियों का विवरण**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने कंपनी के निदेशकों को किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

#### **बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन**

कंपनी के निदेशक मंडल और उसकी समितियों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन संबंधी कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की धारा 134(3)(पी) और नियम 8(4) के प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि न तो सूचीबद्ध कंपनी है न ही सार्वजनिक कंपनी है, जिसकी शेयर पूंजी रु.25 करोड़ या उससे अधिक है।

All the recommendations of the Audit Committee were accepted by the Board of Directors of the company, during the financial year 2019-20. The composition and the terms of reference of the audit committee is as per the applicable provisions of the Act.

The primary objective of the committee is to monitor and provide an effective supervision of the Management's financial reporting process, to ensure accurate and timely disclosures, with the highest level of transparency, integrity and quality of financial reporting.

#### **NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE AND STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE**

Provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Meetings of Board and its Power) Rules, 2014, relating to 'Nomination & Remuneration Committee' do not apply to the company.

Pursuant to Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Meetings of Board and its Power) Rules 2014, 'Stakeholders Relationship Committee' is not applicable on the company as the company does not have more than 1,000 shareholders, Debenture-holders, Deposit-holders and any other security-holders at any time.

#### **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE**

Pursuant to DPE Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises and Section 135 of the Companies Act, 2013, the Board has constituted CSR committee and during the year under review, the CSR Committee did not meet any time because Company does not fall under the criteria as laid down under Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, therefore, there was no requirement to contribute under Corporate Social Responsibility.

#### **REMUNERATION PAID TO MANAGERIAL PERSONNEL AND PARTICULARS OF EMPLOYEES**

During the financial year 2019-20, the company has not paid any managerial remuneration to the directors of the company during the year.

#### **EVALUATION OF BOARD PERFORMANCE**

Provisions of Section 134(3) (p) and Rule 8(4) of Companies (Accounts) Rules, 2014 related to formal annual evaluation of Board of Directors and its Committees are not applicable, as the Company is neither a listed company nor a public company having paid-up share capital of Rs. 25 crores or more.

### **महिला निदेशक**

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार कंपनी को महिला निदेशक के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

### **लेखा परीक्षक**

#### **सांविधिक लेखापरीक्षक**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा मैसर्स ए. के. जैन एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को निगम का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था।

#### **लागत लेखापरीक्षक**

कंपनी, लागत लेखा परीक्षा की गणना के उद्देश्य के लिए, कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-148 के अंतर्गत निर्धारित और समय-समय पर संशोधित मानदंडों में नहीं आती है।

#### **सचिवीय लेखा परीक्षा**

कंपनी, सचिवीय लेखा परीक्षा करने के उद्देश्य के लिए, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-204 के अंतर्गत निर्धारित और समय-समय पर संशोधित मानदंडों में नहीं आती है।

#### **आंतरिक लेखा परीक्षा**

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-138 के अनुसरण में कंपनी को आंतरिक लेखा परीक्षा को आयोजित करने के लिए कंपनी को आंतरिक लेखा परीक्षा को नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

### **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा**

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उनकी टिप्पणियाँ स्वयं व्याख्यात्मक हैं, इसलिए किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

### **लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और स्पष्टीकरण अथवा अर्हताओं पर टिप्पणियाँ, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणियाँ अथवा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए खंडन तथा उनकी रिपोर्ट में व्यावसायिक लेखापरीक्षक**

#### **सांविधिक लेखा परीक्षक**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षक, मैसर्स ए. के. जैन एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार ने सदस्यों का अपनी रिपोर्ट में अपनी राय की योग्यता के बिना निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया है और उस संबंध में आपके निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

### **WOMAN DIRECTOR**

Pursuant to Section 149 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the company is not required to comply with the provisions of Woman Director.

### **AUDITORS**

#### **Statutory Auditor**

M/s A K Jain & Associates, Chartered Accountants, were appointed as the Statutory Auditors of the Corporation by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) for the financial year 2020-2021.

#### **Cost Auditor**

The Company does not fall in the criteria as laid down under Section 148 of the Companies Act, 2013, the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 as amended from time to time, for the purpose of carrying out Cost Audit.

#### **Secretarial Audit**

The Company does not fall in the criteria as laid down under Section 204 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, as amended from time to time, for the purpose of carrying out Secretarial Audit.

#### **Internal Auditor**

Pursuant to Section 138 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Accounts) Rules, 2014, the company is not required to appoint Internal Auditor to conduct Internal Audit.

### **Comptroller and Auditor General of India Audit**

The comments of CAG as per their report are self-explanatory, Therefore, do not need any further comments.

### **AUDITORS REPORT AND EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS**

#### **Statutory Audit Report**

The Auditors' M/s A.K Jain & Associates, Chartered Accountants, Auditors of the Company for the financial year 2019-20, in their Report to the members without qualifying their opinion have drawn attention on a following point and the explanation of your board with respect to the same are as below:

## 1. लेखा परीक्षक की टिप्पणी:

### मुख्य लेखापरीक्षा के मामले

मुख्य लेखापरीक्षा के मामले, वे मामले हैं जो कि हमारे व्यावसायिक निर्णय में चालू अवधि की वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण थे।

ये मामले पूर्णतः वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा और उस पर हमारी राय को सूचित करने के संदर्भ में संबोधित थे तथा हम इन मामलों पर कोई पृथक राय नहीं देते। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने के लिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले निर्धारित किए हैं:

क्र सं	मुख्य लेखापरीक्षा मामले
1.	ठेकेदार को प्रदत्त अतिरिक्त राशि की वसूली
क्र सं	लेखापरीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	प्रबंध समिति द्वारा अनुवर्तन किया जा रहा है।

### भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा:

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपने दिनांक 30.12.2020 के पत्र सं. एएमजी-आई/पीएसयू/डीपीएचसीएल/9-26/2019-2021/353 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2018 की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत दि. 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की तथा उनके संज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड को धारा 143 (12) के अधीन कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

### प्रबंध समिति का स्पष्टीकरण

लेखापरीक्षक की अभियुक्ति राइट्स, ठेकेदार को अतिरिक्त राशि के भुगतान संबंधी है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रबंध समिति मामले पर विचार कर रही थी और इस तरह, राइट्स, ठेकेदार से बाराखम्भा रोड परियोजना के लिए रु.63,468,443.00 की राशि प्राप्त हुई। राइट्स ने कुछ राशि का लंबित बिलों की अदायगी संबंधी समायोजन किया है और राइट्स से शेष राशि सभी लंबित बिलों के समायोजन के बाद वसूली जाएगी।

### सूचना प्रदाता/सतर्कता तंत्र नीति

निदेशक और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र संबंधी कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 (9) के प्रावधान लागू कंपनी पर नहीं है, क्योंकि कंपनी न ही सूचीबद्ध कंपनी है न ही इसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से रु.50 करोड़ से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि या उधार लिया हुआ पैसा स्वीकार किया है।

## 1. REMARK BY THE AUDITOR:

### KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Financial Statement of the current period.

These matters were addressed in the context of our audit of the Financial Statement as a whole, and informing our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

S. No.	Key Audit Matter
1.	Recovery of excess amount paid to contractors
S. No.	Auditors' Response
1.	Being followed up by the management.

### Comptroller and Auditor General of India (CAG) Audit Report:

The Comptroller and Auditor General of India (CAG) vide its letter no.. AMG-I/PSU/DPHCL/9-26/2020-21/353 dated 30.12.2020, have conducted supplementary audit for the year ended 31.03.2020 under section 143(6)(a) of the Companies Act, 2018 and nothing significant has come to their notice.

Further no frauds were reported U/s 143(12) to the Board during the Financial Year 2019-2020 under the Companies Act, 2013.

### MANAGEMENT EXPLANATION

The remarks of Auditors are related to excess payment to RITES, the Contractor wherein it is stated that the management was considering the matter and thus, got the amount of Rs. 63,468,443.00 from RITES, the contractor against the Barakhamba Road project. Some amount has been adjusted by the RITES against the payment of pending bills and the remaining funds with RITES will be recovered after adjustment of all pending bills.

### WHISTLE BLOWER/VIGIL MECHANISM POLICY

Provisions of Section 177(9) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Meetings of Board and its Power) Rules, 2014, related to establishment of vigil mechanism for directors and employees are not applicable, as the company is neither a listed company nor it has accepted public deposits or borrowed money from banks and financial institutions in excess of Rs. 50 Crores.

## **जोखिम प्रबंधन नीति**

कंपनी ने अपने सभी कार्यों में इन-बिल्ट तंत्र को कंपनी के लिए निहित जोखिम को कम करने के लिए बनाया है जिसमें कंपनी चल रही है ।

## **सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धता**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी की व्यावसायिक गतिविधि में ऐसा कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं देखा गया है, जो कंपनी के इन वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा ।

## **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण**

कंपनी के पास अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, नुकसान, अनधिकृत उपयोग या निपटान से सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है ।

सभी लेन-देन ठीक से अधिकृत, रिकॉर्ड किए गए हैं और प्रबंधन को रिकॉर्ड किए गए हैं । कंपनी बही-खातों की पुस्तकों को ठीक से बनाए रखने और वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के लिए सभी लागू लेखा मानकों का पालन कर रही है । कंपनी का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण की जाँच करता है और उसकी पुष्टि करता है और कंपनी द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार उनकी निगरानी करता है । कंपनी अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना जारी रखती है ।

## **व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी की व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं था ।

## **ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया ।

## **सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियाँ तथा उनका निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति**

कंपनी की कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनी नहीं है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई कंपनी होल्डिंग, सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं बनी है ।

## **प्रतिष्ठान की चलायमान स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालन पर नियामक अथवा न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित जारी किए गए महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेश**

आपके निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के विरुद्ध कोई महत्वपूर्ण और / या आवश्यक आदेश पारित नहीं किया गया था, जो चलायमान व्यवसाय और भविष्य में संचालन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है ।

## **RISK MANAGEMENT POLICY**

The Company has in-built mechanism in all its operations to mitigate risks inherent to the industry in which the company is operating.

## **MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT**

During the financial year under review, there is no such material change is viewed in the business activity of the company which will affect the financial position of the company, between the end of the financial year of the Company to which these financial statement relate and the date of this report.

## **INTERNAL CONTROL SYSTEM**

The Company has adequate system of internal control to safeguard and protect from loss, unauthorized use or disposition of its assets.

All the transactions are properly authorized, recorded and reported to the Management. The Company is following all the applicable Accounting Standards for properly maintaining the books of accounts and reporting financial statements. The management of the company checks and verifies the internal control and monitors them in accordance with policy adopted by the company. Company continues to ensure proper and adequate systems and procedures commensurate with its size and nature of business.

## **CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY**

During the year under review, there was no change in the nature of business of the company.

## **PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS**

There were no loans, guarantees or investments made by the Company under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

## **SUBSIDIARY / JOINT VENTURES / ASSOCIATED COMPANIES AND THEIR PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION**

The Company does not have any Subsidiary/ Joint Venture/ Associate Company and no Company became its Holding, Subsidiary or Joint Venture Company during the financial year 2019-20.

## **SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE**

Your directors confirm that no significant and/or material order(s) had been passed against the company during the financial year 2019-20, which may adversely impact the status of ongoing concern and operations in future.

## संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं या व्यवस्थाओं के ब्यौरे

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं का कोई दृष्टांत नहीं है। अतएव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्ररूप एओसी-2 में कोई विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

## वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सार

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसरण में प्ररूप एमजीटी-9 के रूप में अनुलग्नक 'क' पर वार्षिक विवरणी का सार है।

## सचिवीय मानक का अनुपालन

इन्सटिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरियल ऑफ इंडिया द्वारा जारी एसएस-1 और एसएस-2 जो क्रमशः निदेशक मंडल की बैठकों और आम बैठकों से संबंधित हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है और कंपनी निदेशक मंडल की बैठकों और आम बैठकों के संबंध में उपरोक्त सचिवीय मानकों का अनुपालन कर रही है।

## निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा की तैयारी में निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि:

- (क) वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है तथा दिए गए तथ्यों संबंधी उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- (ख) वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।
- (ग) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।
- (ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और ऐसी प्रणाली के उपयुक्त एवं प्रभावी संचालन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है।

## PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES

There were no instances of contracts or arrangements entered by the Company with the related parties. Hence, there is no requirement to furnish particulars as required under sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 in Form AOC-2.

## EXTRACTS OF ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed herewith as ANNEXURE 'A' in form MGT-9.

## COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS

The SS-1 and SS-2 related to Meetings of the Board of Directors and General Meetings respectively are issued by the Institute of Company Secretaries of India which are mandatorily required to be followed by the company and the company is complying the aforesaid Secretarial Standards in respect of Meetings of the Board of Directors and General Meetings.

## DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2020:

- (a) In preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the Company for that period;
- (c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other regularities;
- (d) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- (e) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

### लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सीए) के अनुसार लेखापरीक्षकों के संज्ञान में ना कोई धोखाधड़ी आई ना उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट की ।

### ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा आय व व्यय का विवरण

- क. कंपनी निर्माण व्यवसाय में शामिल नहीं है, अपने प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं है तथा इसीलिए ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेलन के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई है ।
- ख. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा आय व व्यय नहीं था ।

### मानव संसाधन विकास

कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे । मानव संसाधन पहल के रूप में प्रशिक्षण और जन विकास को आवश्यकतः केंद्रित किया जा रहा है ।

### कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिवेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कंपनी की कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिवेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न रोधी नीति है । लैंगिक उत्पीड़न संबंधी प्राप्त शिकायतों निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित है । इस नीति के अंतर्गत सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षणार्थी) समाहित हैं ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, लैंगिक उत्पीड़न की प्राप्त और निपटायी गई शिकायतों का सारांश नीचे दिए जा रही हैं ।

प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य

निपटायी गई शिकायतों की संख्या : लागू नहीं ।

### प्रकटन

1. समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर घोषित नहीं किए गए थे ।
2. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करना आवश्यक था ।
3. समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विशेष अधिकार के साथ कोई ईक्विटी शेयर को जारी नहीं किया ।
4. आपकी कंपनी ने स्टॉक विकल्प/स्वेट ईक्विटी शेयरों को जारी नहीं किया है ।
5. समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने किसी वरीयता शेयर या डिबेंचरों को भुनाया नहीं है ।

### DETAILS OF FRAUD REPORTED BY AUDITORS

No fraud has been noticed or reported by the Auditor as per Section 134(3) (ca) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Amendment) Act, 2015.

### CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

- a. The Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operation and as such no specific methods have been adopted to conserve energy & technology absorption.
- b. During the period under review there was no foreign exchange earnings or out flow.

### HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

The Industrial relations continued to be cordial in the Company. As a part of HR initiatives, training and people development are being given necessary focus.

### DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The company has in place an Anti-Sexual Harassment Policy in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. An Internal Complaints Committee has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. All employee (permanent, contractual, temporary, trainees) are covered under this policy.

The following are the summary of sexual harassment complaints received and disposed off during the financial year 2019-20.

No. of Complaints received: Nil

No. of complaints disposed off: N.A.'

### DISCLOSURES

- a) No Bonus Shares were declared during the financial year under review.
- b) There was no amount which was required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).
- c) Your company has not issued any equity shares with differential rights during the financial year under review.
- d) Your company has not issued any Employees Stock options/ Sweat Equity Shares.
- e) Your company has not redeemed any preference shares or Debentures during the financial year under review.

6. समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने आपकी कंपनी ने अपनी किसी प्रतिभूति को वापस नहीं खरीदा है।

### आभारोक्ति

आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जीएनएसटी और शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पूर्णतः और अत्यधिक सहयोग के लिए, कंपनी बैंकरों, निगम के सनदी लेखाकार, कंपनी के कानूनी सलाहकार तथा निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों को निगम के कार्यों को प्रबंधित करने में अथाह सहयोग के लिए हृदय से आभारी हैं। आपके निदेशक दिल्ली पुलिस के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्तरों में से लिए गए कंपनी के स्व-अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कार्मिकों के अत्यधिक आभारी हैं। हमें विश्वास है कि उनके जोश और उत्साह से कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से  
**दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड**

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 31.12.2020

ह.

(रोबिन हिबू आई.पी.एस.)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन सं. 08897332

ह.

(सच्चिदानंद श्रीवास्तव आई.पी.एस.)

निदेशक

डीआईएन सं. 08897384

- f) Your company has not bought back any of its securities during the financial year under review.

### **ACKNOWLEDGEMENT**


Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, MHA, DDA, GNCT and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support, the bankers of the Company, Chartered Accountant of the Corporation, Company Law Advisor and Statutory Auditors of the Corporation for their untiring efforts in organizing the affairs of the Corporation. Last but not the least your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levels from Delhi Police. We are sure that with their zeal and enthusiasm, the Company would rise to greater heights.

by order of the Board of Directors

**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

Place : New Delhi

Date : 31.12.2020



**(Robin Hibu, IPS)**  
Managing Director  
DIN No. 08897332



**(Sachchida Nand Shrivastava, IPS)**  
Director  
DIN No. 08897384

प्ररूप एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार  
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन  
और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे

FORM NO.MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the Financial Year ended on 31.03.2020

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013  
and Rule 12(1) of the Companies (Management and  
Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

क्र.सं Sr. No.	विवरण	Particulars	ब्यौरे / Details
1	सीआईएन	CIN	यू4500डीएल200जीओआई170534 U45400DL2007GOI170534
2	पंजीकरण की तारीख	Registration Date	16/11/2007
3	कंपनी का नाम	Name of Company	दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड Delhi Police housing Corporation Limited
4	श्रेणी	Category	केंद्रीय सरकार कम्पनी Union Government Company
5	पंजीकृत कार्यालय का पता	Address of registered office	के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 K-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002
6	ई-मेल आई डी	Email ID	dphcltd@yahoo.com, dphcltd@delhipolice.gov.in
7	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	Whether listed or not	नहीं / Not listed
8	रजिस्ट्रार और स्थानांतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क के ब्यौरे	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	लागू नहीं NA

I. कंपनी की प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल आवर्त का 10% या अधिक का अंशदान करने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों को निर्दिष्ट किया जाएगा:

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:

क्र.सं Sr. No.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण Name and Description of main products/services Construction	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the product/service	कंपनी के कुल टर्नओवर का % % to total turnover of the company
1.	शून्य / NIL		

III. स्वामित्व, सहायक और सहयोगी कंपनियों के विवरण

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES:

क्र.सं Sr. No.	कंपनी का नाम और पता Name and Address of the Company	सीआईएन/जीएलएन CIN/GLN	स्वामित्व/सहायक/सहयोगी Holding/Subsidiary/ Associate	धारित शेयर का % % of shares held	लागू धारा Applicable Section
1.	.....	शून्य / NIL.....	.....		



IV. शेयर धारण प्रतिमान (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में साम्य शेयर पूंजी ब्योरा)

IV SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) श्रेणी-वार शेयर धारण

(i) Category-wise Share Holding

शेयर धारकों की श्रेणी Category of Share-holders	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन % % Change during
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	

(अ / A) प्रवर्तक / Promoters

(1) भारतीय / Indian									
क) एकल / अ.हि.प. a) Individual/ HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केंद्र सरकार b) Central Govt	0	500000	500000	100	0	500000	500000	100	0
ग) राज्य सरकार(रें) c) State Govt(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) निकाय निगम d) Body Corporate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड) बैंक / वि.सं. e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) अन्य कोई f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>उप कुल (अ)(1) Sub Total(A)(1)</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
(2) विदेशी / Foreign									
क) अ.भा.-एकल a) NRI Individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य एकल b) Other Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) निकाय निगम c) Body Corporate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) बैंक / वि.सं. d) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड) अन्य कोई e) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>उप कुल (अ)(2) Sub Total(A)(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता Total Share-holding of Promotes</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

शेयर धारकों की श्रेणी Category of Share-holders	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या No.of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No.of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन % % Change during
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	

(आ / B) पब्लिक शेयर धारिता / Public Shareholding

<b>(1) संस्थान / Institutions</b>									
क) म्युचुअल फंड a) Mutual Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक / वि.सं. b) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्र सरकार c) Central Govt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) राज्य सरकार(रें) d) State Govts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) उद्यम पूंजी कोष e) Venture Capital Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) बीमा कंपनियां f) Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) एफआईआईएस g) FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) विदेशी संस्थागत निवेशक h) Foreign Venture Capital Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झ) /i) अन्य /Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल (आ) /Sub Total(B)(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) गैर संस्थागत / Non Institutions</b>									
क) कॉर्पोरेट निकाय a) Bodies Corporate									
i) भारतीय / Indian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) विदेशी / Overseas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत b) Individuals									
i) रु. 1.00 लाख तक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs.1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) रु.1.00 लाख से अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs.1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) c) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल (आ) /Sub Total(B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल पब्लिक भोयर धारिता (आ) = आ(1) + (आ)(2) Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

शेयर धारकों की श्रेणी Category of Share-holders	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या No.of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No.of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन % % Change during
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	
इ) जीडीआर एवं एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर C) Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>समग्र कुल (अ+आ+इ) Grand Total (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता Shareholding of Promoter**

क्रम सं. Sr. No.	शेयरधारकों का नाम Shareholder's Name	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			वर्ष में धारित शेयरों में परिवर्तन का % % change in share holding during the year
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का % % of Shares pledged /encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का % % of Shares pledged /encumbered to total shares	
	भारत के राष्ट्रपति की ओर से शेयरों की धारिता Holding shares on behalf of President of India							
1.	श्री अमूल्य कुमार पटनायक Sh. Amulya Kumar Patnaik	499940	99.99	0	499940	99.99	0	अपरिवर्तित / No change
2.	श्री तजेन्द्र सिंह लूथरा Sh. Tajender Singh Luthra	10	0.002	0	0	0	0	सभी शेयर हस्तांतरित Transfer the all Shares
3.	श्रीमती एस.सुन्दरी नन्दा Smt. S. Sundri Nanda	0	0	0	10	0.002	0	सभी शेयर प्राप्त All Shares received
4.	श्री आर. एस.कृष्णीया Sh. R. S. Krishnia	10	0.002	0	10	0.002	0	अपरिवर्तित / No change
5.	श्री एस. निथियानंदम Sh. S. Nithianandam	10	0.002	0	10	0.002	0	अपरिवर्तित / No change
6.	श्री ताज हसन Sh.TajHasan	10	0.002	0	10	0.002	0	अपरिवर्तित / No change
7.	श्री संजय सिंह Sh. Sanjay Singh	10	0.002	0	10	0.002	0	अपरिवर्तित / No change
8.	श्री राजेश मलिक Sh. Rajesh Malik	10	0.002	0	0	0	0	सभी शेयर हस्तांतरित Transfer the all Shares
9.	श्री मुक्तेश चंद्र Sh. Muktesh Chander	0	0	0	10	0.002	0	सभी शेयर प्राप्त All Shares received
	<b>कुल / Total</b>	<b>500000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(iii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में कृपया स्पष्ट करें)

(iii) Change in Promoters' Shareholding (specify, if there is no change)

क्रम सं. Sr.No.	प्रत्येक मुख्य 10 शेयरधारकों के लिए For Each of the Top 10 Shareholders	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company
1.	<b>श्री अमूल्य कुमार पटनायक Sh. Amulya Kumar Patnaik</b>				
	वर्ष के प्रारंभ में / At the beginning of the year	499940	99.99	499940	99.99
	वृद्धि / गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Shareholding specifying the reasons for increase/ decrease	अपरिवर्तित / No change			
	वर्ष के अंत में / At the End of the year	499940	99.99	499940	99.99
2.	<b>श्री तजेन्द्र सिंह लूथरा Sh. Tajender Singh Luthra</b>				
	वर्ष के प्रारंभ में / At the beginning of the year	10	0.002	10	0.002
	वृद्धि / गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Shareholding specifying the reasons for increase/ decrease	दिनांक 24.01.2020 को सभी शेयर श्रीमती एस.सुन्दरी नन्दा को हस्तांतरित किए all Shares Transfer to Smt. S Sundri Nanda on 24.01.2020			
	वर्ष के अंत में / At the End of the year	0	0	0	0
3.	<b>श्रीमती एस.सुन्दरी नन्दा Smt. S. Sundri Nanda</b>				
	वर्ष के प्रारंभ में / At the beginning of the year	0	0	0	0
	वृद्धि / गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Shareholding specifying the reasons for increase/ decrease	दिनांक 24.01.2020 को सभी शेयर श्री तजेन्द्र सिंह लूथरा से प्राप्त किए all Shares received from Sh. Tajender Singh Luthra on 24.01.2020			
	वर्ष के अंत में / At the End of the year	10	0.002	10	0.002
4.	<b>श्री आर. एस. कृष्नीया Sh. R. S. Krishnia</b>				
	वर्ष के प्रारंभ में / At the beginning of the year	10	0.002	10	0.002
	वृद्धि / गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Shareholding specifying the reasons for increase/ decrease	अपरिवर्तित / No change			
	वर्ष के अंत में / At the End of the year	10	0.002	10	0.002

<b>5. श्री एस. निथियानंदम Sh. S. Nithianandam</b>					
वर्ष के प्रारंभ में / At the beginning of the year	10	0.002	10	0.002	
वृद्धि / गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Shareholding specifying the reasons for increase/ decrease	अपरिवर्तित / No change				
वर्ष के अंत में / At the End of the year	10	0.002	10	0.002	
<b>6. श्री ताज हसन Sh. Taj Hasan</b>					
वर्ष के प्रारंभ में / At the beginning of the year	10	0.002	10	0.002	
वृद्धि / गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Shareholding specifying the reasons for increase/ decrease	अपरिवर्तित / No change				
वर्ष के अंत में / At the End of the year	10	0.002	10	0.002	
<b>7. श्री संजय सिंह Sh. Sanjay Singh</b>					
वर्ष के प्रारंभ में / At the beginning of the year	10	0.002	10	0.002	
वृद्धि / गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Shareholding specifying the reasons for increase/ decrease	अपरिवर्तित / No change				
वर्ष के अंत में / At the End of the year	10	0.002	10	0.002	
<b>8. श्री राजेश मलिक Sh. Rajesh Malik</b>					
वर्ष के प्रारंभ में / At the beginning of the year	10	0.002	10	0.002	
वृद्धि / गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Shareholding specifying the reasons for increase/ decrease	दिनांक 24.01.2020 को सभी शेयर श्री मुक्तेश चंद्र को हस्तांतरित किए all Shares Transfer to Sh. Muktesh Chander on 24.01.2020				
वर्ष के अंत में / At the End of the year	0	0	0	0	
<b>9. श्री मुक्तेश चंद्र Sh. Muktesh Chander</b>					
वर्ष के प्रारंभ में / At the beginning of the year	0	0	0	0	
वृद्धि / गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Shareholding specifying the reasons for increase/ decrease	दिनांक 24.01.2020 को सभी शेयर श्री राजेश मलिक से प्राप्त किए all Shares received from Sh. Rajesh Malik on 24.01.2020				
वर्ष के अंत में / At the End of the year	10	0.002	10	0.002	

iv) शीर्ष दस शेयर धारकों (निदेशकों, संप्रवर्तकों एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) का शेयर धारिता प्रतिमान

(IV) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्रम सं. Sr.No.	प्रत्येक मुख्य 10 शेयरधारकों के लिए For Each of the Top 10 Shareholders	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company
	वर्ष के प्रारंभ में At the beginning of the year	0	0	0	0
	वृद्धि / गिरावट (आदि) के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि / गिरावट Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g.	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक् हुए) At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	0	0	0	0

v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिता:

V) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

क्रम सं. Sr.No.	नाम Name	शेयरधारिता Shareholding		दिनांक Date	शेयरधारिता में वृद्धि / गिरावट Increase/ Decrease in shareholding	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		वर्ष के प्रारंभ / अंत में शेयरों की संख्या No. of shares at the beginning / end of the year	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company			शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total share of the company
क / A	निदेशक/Directors						
1.	श्री सेंगोदन निथियानंदम Sh. Sengodan Nithianandam	10	0.002	-	-	10	0.002
2.	श्री श्रीशैल मल्गे Sh. Shreeshail Malge	NIL	NIL	-	-	NIL	NIL
3.	श्री राम कृष्ण मल्होत्रा Sh. Ram Krishan Malhotra	NIL	NIL	-	-	NIL	NIL
4.	श्री देवेन्द्र नाथ सिंह Sh. Devendra Nath Singh	NIL	NIL	-	-	NIL	NIL

**V) ऋणग्रस्तता:**

**V) INDEBTEDNESS:**

		प्रतिभूत ऋण को छोड़कर Secured Loans excluding	अप्रतिभूत ऋण Unsecured Loans	निक्षेप Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) मूलधन	i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज	iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
योग (i+ii+iii)	Total (i+ii+iii)	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	Change in Indebtedness during the financial year				
अभिवर्धन	Addition	0	0	0	0
कटौती	Reduction	0	0	0	0
निवल परिवर्तन	Net Change	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	Indebtedness at the end of the financial year				
i) मूलधन	i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज	iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
योग (i+ii+iii)	Total (i+ii+iii)	0	0	0	0

# कंपनी की बकाया / प्रोद्भूत किंतु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज समाहित ऋणग्रस्तता।

\* Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

**VI) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक**

**VI) REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY  
MANAGERIAL PERSONNEL:**

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक

(A) Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

क्रम सं. Sr.No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/Manager	कुल राशि Total Amount
1.	सकल वेतन Gross salary		
	(अ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	शून्य / NIL	
	(आ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961		
	(इ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of Income Tax Act, 1961		
2.	स्टॉक विकल्प Stock Option		
3.	श्रमसाध्य साम्य Sweat Equity		
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में / Commission – as % of profit		
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें / Others, please specify		
	कुल (क) / Total (A)		
	अधिनियम के अनुसार सीमा / Ceiling as per the Act		

- (आ) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक – लागू नहीं ।  
 (B) Remuneration to key managerial personnel other than MD/Manager/WTD – Not Applicable

क्रम सं. Sr.No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	प्रमुख प्रबंध कार्मिकों Key Managerial Personnel			
		मुकाअधि/CEO	कंस / CS	मुविअधि/CFO	कुल /Total
1.	सकल वेतन Gross salary				
	(अ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961				
	(आ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961				
	(इ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of Income Tax Act, 1961				
2.	स्टॉक विकल्प Stock Option				
3.	श्रमसाध्य साम्य Sweat Equity				
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में / Commission – as % of profit				
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें / Others, please specify				
	कुल / Total				

**VII) शास्ति या दंड या अपराध उपशमन:  
लागू नहीं ।**

**VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES:  
NOT APPLICABLE**

प्रकार Type	कंपनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	लगाए गए शास्ति/दंड/ अपराध उपशमन की फीस Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकारी(प्रादेशिक निदेशक या एनसीएलटी न्यायालय) Authority [RD/NCLT/ COURT]	अपील,यदि हो(ब्योरा दें) Appeal made, if any (give details)
----------------	---	---	--	---	--

क. कंपनी  
A. COMPANY

शास्ति/Penalty					
दंड/Punishment					
अपराध/Compounding					

ख. निदेशक  
B. DIRECTORS

शास्ति/Penalty					
दंड/Punishment					
अपराध/Compounding					

ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी  
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT

शास्ति/Penalty					
दंड/Punishment					
अपराध/Compounding					

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से  
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

by order of the Board of Directors  
**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

ह.  
(रोबिन हिबू आई.पी.एस.)  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन सं. 08897332

ह.  
(सच्चिदानंद श्रीवास्तव आई.पी.एस.)  
निदेशक  
डीआईएन सं. 08897384

Sd/-  
**(Robin Hibu, IPS)**  
Managing Director  
DIN No. 08897332

Sd/-  
**(Sachchida Nand Shrivastava, IPS)**  
Director  
DIN No. 08897384

स्थान : नई दिल्ली

Place: New Delhi



मूल्यांकन वर्ष /ASSTT. YEAR : 2020-21  
 पूर्व वर्ष /PREV YEAR : 2019-20  
 पैन /PAN : AACCD8943J  
 स्थापना की तारीख/D.O.I. : 16/11/2007

**कर योग्य आय की गणना**  
**COMPUTATION OF TAXABLE INCOME**

<b>व्यापार अथवा व्यवसाय से आय</b>	<b>INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION</b>	
लाभ और हानि लेखे से निवल लाभ	Net Profit as per Profit & Loss A/c	8,017,011
जोड़ें : धारा 37 सीएसआर भुगतान पर रोक	Add: CSR Payment Disallowed u/s 37	-
जोड़ें : धारा 40ए(ii) के अंतर्गत स्रोत पर कटौती के ब्याज पर रोक	Add: Interest on TDS/I. Tax disallowed u/s 40a(ii)	403
जोड़ें : आरओसी को प्रदत्त अतिरिक्त फीस	Add: ROC Additional Fee paid	-
<b>कुल आय</b>	<b>Total Income</b>	<b>8,017,414</b>
कुल आय को पूर्णांक करना	Total Income r/off	8,017,410
कुल आय पर 22% की दर से कर	Tax on Total Income @22%	1,763,830
जोड़ें: 10% अधिभार	Add: Surcharge @10%	176,383
		1,940,213
जोड़ें: 4% की दर से शिक्षा उपकर	Add: Education Cess @4%	77,609
कुल कर	Total Tax	2,017,822
घटाएं : अग्रिम कर	Less: Advance Tax	-1397186
घटाएं : स्रोत कर कटौती	Less: TDS	-820969
		(2,218,,155)
		(200,333)
घटाएं : स्वमूल्यांकन प्रदत्त कर	Less: Self assessment tax paid	(386,000)
<b>देय कर</b>	<b>Refund Due</b>	<b>(586,333)</b>

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से  
 दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

For and on behalf of the Board  
**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

ह.  
 (एस. निथियानंदम)  
 प्रबंध निदेशक  
 डीआईएन सं. 06943635

ह.  
 (श्री श्रीशैल मल्गे)  
 निदेशक  
 डीआईएन सं. 08323795

Sd/-  
 (S.Nithianandam)  
 Managing Director  
 DIN No. 06943635

Sd/-  
 (Shreeshail Malge)  
 Director  
 DIN No. 08323795

स्थान : नई दिल्ली  
 दिनांक: 26.08.2020

Place: New Delhi  
 Date:26.08.2020

**मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए स्रोत पर कटौती का विवरण**

**1ली तिमाही**

क्र. स.	नाम	जमा की तारीख	पैन	कर योग्य मूल्य	एसटी / जीएसटी	कुल	स्रोत पर कटौती	निवेश की तारीख
1.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	07.05.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	10.05.2019
2.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	01.06.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	13.06.2019
				16949	3051	20000	1694	

**2री तिमाही**

क्र. स.	नाम	जमा की तारीख	पैन	कर योग्य मूल्य	एसटी / जीएसटी	कुल	स्रोत पर कटौती	निवेश की तारीख
1.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	01.07.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	11.07.2019
2.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	02.08.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	13.08.2019
3.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	03.09.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	12.09.2019
				25424	4576	30000	2541	

**3री तिमाही**

क्र. स.	नाम	जमा की तारीख	पैन	कर योग्य मूल्य	एसटी / जीएसटी	कुल	स्रोत पर कटौती	निवेश की तारीख
1.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	03.10.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	11.10.2019
2.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	01.11.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	11.11.2019
3.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	07.12.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	02.01.2020
				25424	4576	30000	2541	

**4थी तिमाही**

क्र. स.	नाम	जमा की तारीख	पैन	कर योग्य मूल्य	एसटी / जीएसटी	कुल	स्रोत पर कटौती	निवेश की तारीख
1.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	2.01.2020	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	13.02.2020
2.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	4.02.2020	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	18.03.2020
3.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	4.03.2020	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	12.03.2020
4.	संजीव गुप्ता एंड एसो.	31.03.2020	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	2020-21में प्रदत्त
5.	ए. के. जैन एंड एसो. (सांविधिक लेखापरीक्षा)	31.03.2020	-	30000	.	30000	3000	2020-21में प्रदत्त
6.	केबीडीसी एंड कं.	31.03.2020	AAIFK3116B	28500	.	28500	2850	2020-21में प्रदत्त
				92398	6102	98500	9238	
सकल कुल							16014	

31.03.2020 को स्रोत पर कटौती अदायगी योग्य लेखा का अंतिम: शेष का समाधान

01.04.2019 को अथःशेष - जमा

जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कटौती

1ली तिमाही

1694

2री तिमाही

2541

3री तिमाही

2541

4थी तिमाही

9238

घटाए: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जमा स्रोत पर कटौती

**31.03.2019 को शेष**

10044

26058

-19361

6697

31.03.2020 को स्रोत पर कटौती के लिए अदायगीयोग्य राशि:

1 केबीडीसी एंड कं. 31.03.20 AAIFK3116B 28500

वित्त वर्ष-2019-2020

2850

2 ए. के. जैन एंड एसो. 31.03.20 - 30000

सांविधिक लेखापरीक्षा-वित्त वर्ष-2019-2020

3000

5 संजीव गुप्ता एंड एसो. 31.03.20 ACWPG1847M 8475

मार्च-20

848

**31.03.2020 को स्रोत पर कटौती के लिए अदायगीयोग्य राशि**

6697

**DETAILS OF TDS FOR F.Y. 2019-20**

**1ST QUARTER**

Sr. No.	Name	Date of Credit	PAN	Taxable Value	ST/GST	Total	TDS	Date of Deposit
1.	Sanjeev Gupta & Ass.	07.05.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	10.05.2019
2.	Sanjeev Gupta & Ass.	01.06.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	13.06.2019
				16949	3051	20000	1694	

**2ND QUARTER**

Sr. No.	Name	Date of Credit	PAN	Taxable Value	ST/GST	Total	TDS	Date of Deposit
1.	Sanjeev Gupta & Ass.	01.07.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	11.07.2019
2.	Sanjeev Gupta & Ass.	02.08.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	13.08.2019
3.	Sanjeev Gupta & Ass.	03.09.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	12.09.2019
				25424	4576	30000	2541	

**3RD QUARTER**

Sr. No.	Name	Date of Credit	PAN	Taxable Value	ST/GST	Total	TDS	Date of Deposit
1.	Sanjeev Gupta & Ass.	03.10.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	11.10.2019
2.	Sanjeev Gupta & Ass.	01.11.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	11.11.2019
3.	Sanjeev Gupta & Ass.	07.12.19	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	02.01.2020
				25424	4576	30000	2541	

**4TH QUARTER**

Sr. No.	Name	Date of Credit	PAN	Taxable Value	ST/GST	Total	TDS	Date of Deposit
1.	Sanjeev Gupta & Ass.	2.01.2020	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	13.02.2020
2.	Sanjeev Gupta & Ass.	4.02.2020	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	18.03.2020
3.	Sanjeev Gupta & Ass.	4.03.2020	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	12.03.2020
4.	Sanjeev Gupta & Ass.	31.03.2020	ACWPG1847M	8475	1525	10000	847	Paid in 2020-21
5.	A K Jain & Associates (Statutory Audit)	31.03.2020	-	30000	.	30000	3000	Paid in 2020-21
6.	KBDS & Co.	31.03.2020	AAIFK3116B	28500	.	28500	2850	Paid in 2020-21
				92398	6102	98500	9238	
Grand Total (Total Deduction & Payment)							16014	

Reconciliation of Closing Balance of TDS payable Account as on 31.03.2020								10044
Opening Balance as on 01.04.2019-Credit								
Add: Deduction during the FY-2019-20								
1st Quarter							1694	
2nd Quarter							2541	
3rd Quarter							2541	
4th Quarter							9238	16014
Less: TDS deposited during FY-2019-20								26058
<b>Balance as on 31.03.2020</b>								<u>-19361</u>
Amount payable for TDS as on 31.03.2020 :								<u>6697</u>
1	KBDS & Co.	31.03.20	AAIFK3116B	28500			FY-2019-20	2850
2	A K Jain & Associates	31.03.20	-	30000			Statutory Audit- FY-2019-20	3000
5	Sanjeev Gupta & Associates	31.03.20	ACWPG1847M	8475			Mar-20	848
<b>TDS payable as on 31.03.2020 as per Account</b>								<u>6697</u>

## 31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र

(राशि रूपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं०	31/03/2020 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
<b>I. ईक्विटी और देयताएं</b>			
<b>शेयरधारकों की निधियां</b>			
शेयरपूंजी	3	50,000,000	50,000,000
आरक्षित और अधिशेष	4	73,333,848	67,334,658
<b>गैर-चालू देयताएं</b>			
अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	—	—
<b>चालू देयताएं</b>			
अन्य चालू देयताएं	6	57,313,504	120,984,816
अल्पावधि प्रावधान	7	(0)	—
<b>कुल</b>		<b>180,647,352</b>	<b>238,319,474</b>
<b>II. आस्तियां</b>			
<b>चालू आस्तियां</b>			
नकद और नकद तुल्य	8	123,672,057	117,797,075
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	9	640,651	704,533
अन्य चालू आस्तियां	10	56,334,644	119,817,866
<b>कुल</b>		<b>180,647,352</b>	<b>238,319,474</b>
<b>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां</b>	<b>1 व 2</b>		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार  
**ए. के. जैन एंड एसोशिएट्स**  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन सं. 000865एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से  
**दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड**

ह.  
**(सीए अरुण कुमार जैन)**  
 भागीदार  
 सदस्यता सं. 080666

ह.  
**(एस. निथियानंदम)**  
 प्रबंध निदेशक  
 डीआईएन सं. 06943635

ह.  
**(श्री श्रीशेल मल्गे)**  
 निदेशक  
 डीआईएन सं. 08323795

स्थान : नई दिल्ली  
 दिनांक : 26.08.2020

## BALANCE SHEET AS AT 31<sup>st</sup> MARCH 2020

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
<b>I. EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>Shareholder's Funds</b>			
Share Capital	3	50,000,000	50,000,000
Reserves and Surplus	4	73,333,848	67,334,658
<b>Non-Current Liabilities</b>			
Other Long Term Liabilities	5	-	-
<b>Current Liabilities</b>			
Other Current Liabilities	6	57,313,504	120,984,816
Short Term Provisions	7	(0)	-
<b>Total</b>		<b>180,647,352</b>	<b>238,319,474</b>
<b>II. ASSETS</b>			
<b>Current Assets</b>			
Cash and Cash Equivalents	8	123,672,057	117,797,075
Short Term Loans and Advances	9	640,651	704,533
Other Current Assets	10	56,334,644	119,817,866
<b>Total</b>		<b>180,647,352</b>	<b>238,319,474</b>
<b>Significant Accounting Policies Notes on financial Statements</b>	<b>1&amp;2</b>		

As per our report of even date attached  
For **A K Jain & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN No.000865N

For and on behalf of the Board of  
**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

Sd/-  
**(CA Arun Kumar Jain)**  
Partner  
M.No.080666

Sd/-  
**(S.Nithianandam)**  
Managing Director  
DIN No. 06943635

Sd/-  
**(Shreeshail Malge)**  
Director  
DIN No. 08323795

Place : New Delhi  
Date : 26.08.2020

## 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं०	31/03/2020 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
I. प्रचालनों से आय		-	-
II. अन्य आय		16,161,254	57,812,431
<b>III. कुल राजस्व (I+II)</b>	<b>11</b>	16,161,254	57,812,431
IV. व्यय			
परियोजना व्यय की लागत	<b>12</b>	7,930,027	49,903,850
अन्य व्यय	<b>13</b>	214,216	308,759
<b>कुल व्यय</b>		<b>8,144,243</b>	<b>50,212,609</b>
V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ	<b>(III - IV)</b>	8,017,011	7,599,821
VI. आपवादिक मदें		-	-
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V - VI)		8,017,011	7,599,821
VIII. असाधारण मदें		-	-
IX. कर पूर्व लाभ (VII - VIII)		<b>8,017,011</b>	<b>7,599,821</b>
X. कर व्यय:			
(1) चालू कर		2,017,822	1,978,073
(2) आस्थिगित कर		-	-
XI. निरंतर प्रचालनों की अवधि से लाभ / (हानि)	<b>(IX - X)</b>	5,999,189	5,621,749
XII. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ / (हानि)		-	-
XIII. अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XIV. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ / (हानि) (XII - XIII)		-	-
XV. अवधि के लिए लाभ / (हानि) (XI + XIV)		<b>5,999,189</b>	<b>5,621,749</b>
XVI. प्रत्येक रु.100/- के सममूल्य के ईक्विटी शेयर			
XVII. प्रति ईक्विटी शेयर आय:			
(1) मूल और मिश्रित		<b>12.00</b>	<b>11.24</b>
XVIII. प्रति शेयर की आय की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या			
(1) मूल और मिश्रित		500,000	500,000
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	<b>1व2</b>		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार  
**ए. के. जैन एंड एसोशिएट्स**  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन सं. 000865एन

ह.  
**(सीए अरुण कुमार जैन)**  
 भागीदार  
 सदस्यता सं. 080666

स्थान : नई दिल्ली  
 दिनांक : 26.08.2020

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से  
**दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड**

ह.  
**(एस. निथियानंदम)**  
 प्रबंध निदेशक  
 डीआईएन सं. 06943635

ह.  
**(श्री श्रीशेल मल्गे)**  
 निदेशक  
 डीआईएन सं. 08323795

## PROFIT & LOSS STATEMENT FOR THE ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2020

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
I. Revenue from operations		-	-
II. Other Income	<b>11</b>	16,161,254	57,812,431
<b>III.Total Revenue (I+II)</b>		16,161,254	57,812,431
IV. <u>Expenses:</u>			
Cost of Project Expenses	<b>12</b>	7,930,027	49,903,850
Other Expenses	<b>13</b>	214,216	308,759
<b>Total Expenses</b>		8,144,243	50,212,609
V. Profit before exceptional and extraordinary items and tax	<b>(III – IV)</b>	8,017,011	7,599,821
VI. Exceptional Items		-	-
VII. Profit before extraordinary items and tax (V-VI)		8,017,011	7,599,821
VIII.Extraordinary Items		-	-
IX. Profit before tax (VII – VIII)		<b>8,017,011</b>	<b>7,599,821</b>
X. Tax Expenses :			
(1) Current tax		2,017,822	1,978,073
(2) Deferred tax		-	-
XI.Profit (Loss) from the period from continuing operations	<b>(IX – X)</b>	5,999,189	5,621,749
XII. Profit/(Loss) from discontinuing operations		-	-
XIII.Tax expenses of discontinuing operations		-	-
XIV. Profit/(Loss) from Discontinuing operations (XII – XIII)		-	-
XV. Profit/(Loss) for the period (XI + XIV)		<b>5,999,189</b>	<b>5,621,749</b>
XVI. Equity shares of par value a 100/- each			
XVII. Earning per equity share:			
(1) Basic and Diluted		<b>12.00</b>	<b>11.24</b>
XVIII. Number of shares used in computing earnings per share			
(1) Basic and Diluted		500,000	500,000
Significant accounting policies	<b>1&amp;2</b>		
Notes on Financial Statements			

As per our report of even date attached  
For **A K Jain & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN No.000865N

For and on behalf of the Board of  
**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

Sd/-  
**(CA Arun Kumar Jain)**  
Partner  
M.No.080666

Sd/-  
**(S.Nithianandam)**  
Managing Director  
DIN No. 06943635

Sd/-  
**(Shreeshail Malge)**  
Director  
DIN No. 08323795

Place : New Delhi  
Date : 26.08.2020

## 2019-20 के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(राशि रूपयों में)

		2019 -20 (संशोधित)		2019 -20 (मूल)	
<b>क</b>	प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह				
	कराधान पूर्वलाभ	8,017,011		8017011	
	समायोजन के लिए:				
	ब्याज आय	(8,210,442)		8210442	
	ब्याज व्यय	-		-	
		(193,431)		16227453	
	चालू आस्तियों में वृद्धि	63,747,438		63547105	
	चालू देयताओं में वृद्धि	(63,671,312))		63671312	
प्रचालन से सृजित नकद	(117,305)		16103246		
प्रदत्त आयकर	(2,218,155)		(2,218,155)		
		(2,335,460)		18321401	
<b>ख</b>	निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह				
	प्राप्त ब्याज	8,210,442		8210442	
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद		8,210,442		8210442
<b>ग</b>	वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह				
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल		-		-
	नकद और नकद समकक्ष में निवल (घटत)		5,874,982		5874982
	वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष		117,797,075		117797075
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		123,672,057		123672057

नोट: असावधानी से, ब्याज आय के मूल नकदी प्रवाह विवरण में एक्सेल सूत्र गायब था, जिसे ठीक से नहीं काटा जा सकता था, बल्कि इसे घटाया गया है, इसीलिए इसमें अंतर हुआ है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा इंगित किया गया था।

अतएव, एक संशोधित नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है। हालाँकि, अंतिम रूप से नकद और नकद समकक्षों में कोई परिवर्तन नहीं है जैसा कि दिनांक 31.03.2020 को हुआ था और अब इसे ठीक किया जा रहा है।

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार  
**ए. के. जैन एंड एसोशिएट्स**  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन सं. 000865एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से  
**दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड**

ह.  
**(सीए अरुण कुमार जैन)**  
 भागीदार  
 सदस्यता सं. 080666

ह.  
**रोबिन हिबू, आई.पी.एस.**  
 प्रबंध निदेशक  
 डीआईएन सं. 08897332

ह.  
**एस. पी. अग्रवाल**  
 निदेशक  
 डीआईएन सं. 08839355

स्थान : नई दिल्ली  
 दिनांक : 31.12.2020



## Cash Flow Statement for the Year 2019-20

(Amount in Rs.)

		2019 -20 (Revised)		2019 -20 (Original)	
<b>A</b>	<b>Cash Flows From Operating Activities</b>				
	<b>Profit before taxation</b>	8,017,011		8017011	
	Adjustments for:				
	Interest income	(8,210,442)		8210442	
	Interest expense	-		-	
		(193,431)		16227453	
	Increase in Current Assets	63,747,438		63547105	
	Increase in Current Liabilities	(63,671,312))		63671312	
	Cash generated from operations	(117,305)		16103246	
	Income tax paid	(2,218,155)		(2,218,155)	
	<i>Net cash used in operating activities</i>		(2,335,460)		18321401
<b>B</b>	<b>Cash Flows From Investing Activities</b>				
	Interest received	8,210,442		8210442	
	<i>Net cash from investing activities</i>		8,210,442		8210442
<b>C</b>	<b>Cash Flows From Financing Activities</b>				
	Net cash used from financing activities		-		-
	<b>Net (decrease) in cash and cash equivalents</b>		5,874,982		5874982
	<b>Cash &amp; cash equivalents at beginning of the period</b>		117,797,075		117797075
	<b>Cash &amp; cash equivalents at end of the period</b>		123,672,057		123672057

Note : Inadvertently, excel formula was missing in original cash flow statement of Interest Income which could not be deducted properly rather it has been added rather subtracted that is way difference occurred which was pointed out by CAG Audit Report.  
Therefore a revised Cash flow statement has been prepared. However, ultimate there is no change in cash and cash equivalents as on 31.03.2020 and now it is being rectified.

As per our report of even date attached  
For **A K Jain & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN No.000865N

For and on behalf of the Board of  
**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

Sd/-  
**(CA Arun Kumar Jain)**  
Partner  
M.No.080666

Sd/-  
**(Robin Hibu, IPS)**  
Managing Director  
DIN No. 08897332

Sd/-  
**(S.P. Agarwal)**  
Director  
DIN No. 08839355

Place : New Delhi  
Date : 31.12.2020

**खाता सं. 30896561075 का 31 मार्च, 2020 को बैंक समाधान विवरण**  
**BANK RECONCILIATION STATEMENT AS ON 31<sup>ST</sup> MARCH, 2020 OF ACCOUNT NO. 30896561075**

31.03.2020 को बैंक बुक के अनुसार शेष (नामे) Balance as per Bank Book as on 31.03.2020 (Dr)	43
घटाएं: चैक जमा किया लेकिन अभी तक समाशोधित नहीं हुआ Less: Cheque Deposited but not credited by bank	शून्य Nil
जोड़े: चेक जारी किया लेकिन अदायगी के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया Add: Cheque issued but not presented for payment	शून्य Nil
31 मार्च, 2020 के बैंक विवरण के अनुसार शेष (जमा) Balance as per Bank Statement 31 <sup>st</sup> March 2020 (Cr)	<u>43</u>

**खाता सं. 30316069825 का 31 मार्च, 2020 को बैंक समाधान विवरण**  
**BANK RECONCILIATION STATEMENT AS ON 31<sup>ST</sup> MARCH, 2020 OF ACCOUNT NO. 30316069825**

31.03.2020 को बैंक बुक के अनुसार शेष (नामे) Balance as per Bank Book as on 31.03.2020 (Dr)	10,122
घटाएं: चैक जमा किया लेकिन अभी तक समाशोधित नहीं हुआ Less: Cheque Deposited but not credited by bank	शून्य Nil
जोड़े: चेक जारी किया लेकिन अदायगी के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया Add: Cheque issued but not presented for payment	शून्य Nil
31 मार्च, 2020 के बैंक विवरण के अनुसार शेष (जमा) Balance as per Bank Statement 31 <sup>st</sup> March 2020 (Cr)	<u>10,122</u>

**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां**

**1. कंपनी सूचना**

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की स्थापना गृह-निर्माण और पुलिस थाना का निर्माण तथा निर्माण कार्य/सिविल-निर्माण कार्य, मरम्मत आदि अथवा पुलिस विभाग की कोई भी इमारत संबंधी किसी भी निर्माण कार्य के उद्देश्य से 16.11.2007 को की गई थी।

**2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

**क. वित्तीय विवरणिकाओं की मूल तैयारी**

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकन मानक और लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक प्रस्तुति की आवश्यकता का पालन करते हैं।

**Notes on Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2020**

**1. CORPORATE INFORMATION**

Delhi Police Housing Corporation Limited was incorporated on 16.11.2007 with the object of construction of houses and police station buildings and to undertake construction/civil works, repair etc. or to do any civil works in connection with any building belonging to police department.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

Accounting Convention – The Financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The Financial statements adhere to relevant presentation requirement of the Companies Act, 2013.

**ख. स्थायी आस्तियां**

वर्ष के दौरान कोई स्थायी आस्तियां नहीं खरीदी गईं।

**ग. मूल्यहास**

कोई स्थायी आस्तियां नहीं खरीदी गईं इसलिए वर्ष के दौरान कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं हुआ।

**घ. गैर-चालू देयताएं**

गैर-चालू देयताएं शून्य हैं।

**ङ. राजस्व मान्यता नीति**

जब कभी उपार्जित होता है, आय को मान्यता दी जाती है।

**च. कर के लिए लेखांकन**

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय के संबंध में अदायगी योग्य कर की राशि पर चालू कर निर्धारित होता है।

**छ. सरकारी अनुदान का लेखांकन**

कंपनी को कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और आधुनिकीकरणों के लिए गृह मंत्रालय से अनुदान प्राप्त होता रहा है। अनुदान उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित लागत होती है। कंपनी ने उसे राजस्व अनुदान माना है तथा कंपनी ने व्यय को लाभ और हानि लेखा के विवरण में निर्माण व्यय और निष्पादन व परामर्श प्रभार के अंतर्गत बुक किया है।

**ज. प्रावधान**

प्राक्कलन की सारभूत डिग्री के सम्मिलन के प्रावधान को अभिज्ञात नहीं किया जाता है जब घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है। आकस्मिक देयताओं को अभिज्ञात नहीं किया जाता लेकिन लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न अभिज्ञात किया जाता है न प्रकट किया जाता है।

**झ. प्रति शेयर उपार्जन**

प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर प्रकट किया जाता है। प्रति शेयर अवमिश्रित उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा बकाया अवमिश्रित ईक्विटी शेयरों के समकक्ष प्रकट किया जाता है केवल, तब ही जब परिणाम अवमिश्रित विरोधी है।

ज. पूर्ववर्ष के शेष/आंकड़ों को पुनः समूहित तथा पुनः समायोजित किया जाता है।

**b. FIXED ASSETS**

No Fixed Assets Purchased during the year.

**c. DEPRECIATION**

There is no Fixed Assets Purchased, hence, no depreciation charged during the year.

**d. NON-CURRENT LIABILITIES**

Non-current Liabilities are nil.

**e. REVENUE RECOGNITION POLICY**

Income is recognized as and when accrued.

**f. ACCOUNTING FOR TAXES**

Current tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

**g. ACCOUNTING OF GOVERNMENT GRANTS**

The company has been receiving grants from Ministry of Home Affairs (MHA) for construction & modernizations of office and residential building Grants are recognized over the period in which the related costs are incurred. The company has treated the same as revenue grant and has booked the expenditure under the head Construction Expenses and Execution & Consultancy Charges in Statement of Profit & Loss account.

**h. PROVISIONS**

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is present obligation as result of events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognized but are disclosed in the notes to accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

**i. EARNING PER SHARE**

Basic Earning per Share is computed and disclosed using the weighted average number of equity share outstanding during the period. Dilutive earnings per share is computed and disclosed using weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period, except when the result would be anti-dilutive.

j. Previous year Balances/Figures are regrouped & rearranged wherever necessary.

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या : 3. शेयर पूंजी

क) शेयर पूंजी	31/03/2020 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
<b>प्राधिकृत</b>				
प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	1,000,000	100,000,000	1,000,000	100,000,000
<b>जारी</b>				
प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
<b>अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त</b>				
प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
<b>अभिदत्त किंतु पूर्णतः प्रदत्त नहीं</b>				
<b>कुल</b>	<b>500,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>50,000,000</b>

ख. 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को बकाया शेयरों की संख्या तथा शेयर पूंजी की राशि का सामांजस्य नीचे दिया जा रहा है:

विवरण	31/03/2020 को इक्विटी शेयर		31/03/2019 को इक्विटी शेयर	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	—	—	—	—
वर्ष के दौरान शेयर वापस खरीदे गए	—	—	—	—
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

ग. 5% से अधिक शेयरों को धारित करने वाले शेयर धारकों के नाम नीचे हैं:

नाम	शेयर धारिता की संख्या	शेयर का प्रकार	शेयर धारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	499,940	इक्विटी शेयर	99.99%

घ. 31/03/2020 को अदत्त अंश

विवरण	रुपए
निदेशक द्वारा	—
अधिकारियों द्वारा	—

टिप्पणी संख्या : 4. आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2020 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्रारंभिक शेष	67,334,658	61,712,909
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ	5,999,189	5,621,749
<b>कुल</b>	<b>73,333,848</b>	<b>67,334,658</b>

टिप्पणी संख्या : 5. अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2020 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
दिल्ली पुलिस	—	—
<b>कुल</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2020

### NOTE : 3. SHARE CAPITAL

a) Share Capital	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020		Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019	
	Number	Rs.	Number	Rs.
<b>Authorised</b> Equity shares of Rs.100 each	1,000,000	100,000,000	1,000,000	100,000,000
<b>Issued</b> Equity shares of Rs.100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
<b>Subscribed and Fully Paid up</b> Equity shares of Rs. 100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
<b>Subscribed But not Fully Paid up</b>				
<b>Total</b>	<b>500,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>50,000,000</b>

b) The reconciliation of the number of shares outstanding and the amount of share Capital as at March 31, 2020 and March 31, 2019 is set out below:

Particulars	Equity Shares as on 31/03/2020		Equity Shares as on 31/03/2019	
	No.	Rs.	No.	Rs.
Shares outstanding at the beginning of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Shares issued during the year	-	-	-	-
Shares bought back during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

c) Below are the name(s) of the shareholders holding more than 5% of Shares

Name	of Share Holding	Class of Share	Percentage of Holding
President of India	499,940	Equity Share	99.99%

d) Unpaid calls as on 31/03/2020

Particulars	Rs.
By Directors	-
By Officers	-

### Note : 4. RESERVE & SURPLUS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
Opening Balance	67,334,658	61,712,909
Add: Profit & Loss A/c	5,999,189	5,621,749
<b>Total</b>	<b>73,333,848</b>	<b>67,334,658</b>

### Note : 5. OTHER LONG TERM LIABILITIES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
Delhi Police	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

टिप्पणी संख्या : 6. अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31/03/2020 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
अव्ययित सरकारी अनुदान	12,445,324	20,375,351
भुगतान योग्य फीस (दुआ एंड एसोसिएट्स)	27,000	49,500
आशु गुप्ता एंड कंपनी	—	1,800
भुगतान योग्य स्रोत पर कटौती	6,697	10,044
प्रतिभूति जमा – राइट्स लि.	259,655	259,655
प्रतिभूति जमा – संजीव गुप्ता एसोसिएट्स	12,000	12,000
संजीव गुप्ता एंड एसोसिएट्स	9,153	17,153
गृह मंत्रालय को भुगतान योग्य	44,528,025	100,233,298
के.बी.डी.एस. एंड कंपनी	25,650	26,015
कुल	<b>57,313,504</b>	<b>120,984,816</b>

टिप्पणी संख्या : 7. अल्पावधि प्रावधान

(राशि रुपये में)

विवरण	31/03/2020 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
कर हेतु प्रावधान	2,017,822	1,978,073
घटाएं: अग्रिम कर	(1,397,186)	(1,630,634)
घटाएं: स्रोत पर कर की कटौती	(620,636)	(347,439)
कुल	<b>(0)</b>	<b>—</b>

टिप्पणी संख्या : 8. नकद और नकद समकक्ष

(राशि रुपये में)

विवरण	31/03/2020 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
क) बैंक शेष		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 825	10,122	10,176
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 1075	43	1,489
ख) अन्य (प्रकृति बताएं)		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा	123,661,892	117,785,410
कुल	<b>123,672,057</b>	<b>117,797,075</b>

टिप्पणी: नकद और नकद समतुल्य में बैंक के साथ कंपनी द्वारा रखी गई जमा राशि शामिल है, जिसे कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना मूलधन पर अर्थदंड के वापस लिया जा सकता है।

टिप्पणी संख्या : 9. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण	31/03/2020 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
आयकर मूल्यांकन वर्ष 2018-19 (निवल प्रावधान)	—	264,215
आयकर मूल्यांकन वर्ष 2019-20 (निवल प्रावधान)	440,318	440,318
आयकर मूल्यांकन वर्ष 2020-21 (निवल प्रावधान)	200,333	—
कुल	<b>640,651</b>	<b>704,533</b>

**Note : 6. OTHER CURRENT LIABILITIES**

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
Unspent Government Grant	12,445,324	20,375,351
Audit Fees Payable (Dua & Associates)	27,000	49,500
Ashu Gupta & Co.	-	1,800
TDS Payable	6,697	10,044
Security Deposit – Rites Ltd.	259,655	259,655
Security Deposit – Sanjeev Gupta Associates	12,000	12,000
Sanjeev Gupta & Associates	9,153	17,153
Payable to MHA	44,528,025	100,233,298
KBDS & Co	25,650	26,015
<b>Total</b>	<b>57,313,504</b>	<b>120,984,816</b>

**Note : 7. SHORT TERM PROVISIONS**

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
Provision for Tax	2,017,822	1,978,073
Less: Advance Tax	(1,397,186)	(1,630,634)
Less: TDS Adjusted	(620,636)	(347,439)
<b>Total</b>	<b>(0)</b>	<b>-</b>

**Note : 8. CASH & CASH EQUIVALENTS**

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
a) Balance with Bank		
State Bank of India – A/c 825	10,122	10,176
State Bank of India – A/c - 1075	43	1,489
b) Other (Specify nature)		
FDR's with SBI Bank	123,661,892	117,785,410
<b>Total</b>	<b>123,672,057</b>	<b>117,797,075</b>

Note: Cash and Cash Equivalents includes deposits maintained by the Company with Bank, which can be withdrawn by the Company at any point of time without prior notice or penalty on the principal.

**Note : 9. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES**

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
Income Tax A.Y. – 2018-19 (Net of Provision)	-	264,215
Income Tax A.Y. – 2019-20 (Net of Provision)	440,318	440,318
Income Tax A.Y. – 2020-21 (Net of Provision)	200,333	-
<b>Total</b>	<b>640,651</b>	<b>704,533</b>

टिप्पणी संख्या : 10. अन्य चालू आस्तियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2020 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
जमा रसीद पर प्राप्तव्य ब्याज	3,984,958	3,832,881
राईट्स लिमिटेड	52,349,686	115,984,986
<b>कुल</b>	<b>56,334,644</b>	<b>119,817,867</b>

टिप्पणी संख्या : 11. अन्य आय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2020 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
सरकारी अनुदान की मान्यता	7,930,027	49,903,850
एसबीआई में मियादी जमा पर ब्याज	8,210,442	7,882,081
निविदा फीस	500	4,000
राशि पुनरांकन	1,800	22,500
आयकर वापसी पर ब्याज	18,485	—
<b>कुल</b>	<b>16,161,254</b>	<b>57,812,431</b>

टिप्पणी संख्या : 12. परियोजना लागत का व्यय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2020 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
निर्माण व्यय (पुलिस स्टेशन)	7,930,027	49,903,850
क्रियान्वयन और परामर्श प्रभार	—	—
<b>कुल</b>	<b>7,930,027</b>	<b>49,903,850</b>

टिप्पणी संख्या : 13. अन्य व्यय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2020 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2019 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
विधि और व्यावसायिक फीस	33,600	36,400
प्रतिधारण शुल्क	120,000	185,729
आरओसी फीस	14,300	23,400
आयकर/स्रोत पर कटौती पर ब्याज/विलंबन शुल्क	403	942
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक (सांविधिक लेखापरीक्षा)	30,000	30,000
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक (कर लेखापरीक्षा)	—	25,000
निगमित सामाजिक दायित्व	—	—
बैंक प्रभार	1,248	1,888
विविध व्यय	14,665	5,400
<b>कुल</b>	<b>214,216</b>	<b>308,759</b>



**Note : 10. OTHER CURRENT ASSETS**

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
Interest on FDR Receivable	3,984,958	3,832,881
Rites Ltd.	52,349,686	115,984,986
<b>Total</b>	<b>56,334,644</b>	<b>119,817,867</b>

**Note : 11. OTHER INCOMES**

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
Government Grant recognized	7,930,027	49,903,850
Interest on term deposit with SBI	8,210,442	7,882,081
Tender Fees	500	4,000
Amount written bank	1,800	22,500
Interest on Income Tax refund	18,485	-
<b>Total</b>	<b>16,161,254</b>	<b>57,812,431</b>

**Note : 12. COST OF PROJECT EXPENSES**

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
Construction Expenses (Police Station)	7,930,027	49,903,850
Execution & Consultancy Charges	-	-
<b>Total</b>	<b>7,930,027</b>	<b>49,903,850</b>

**Note : 13. OTHER EXPENSES**

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2020	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2019
Legal & Professional Fees	33,600	36,400
Retainership Charges	120,000	185,729
ROC Fees	14,300	23,400
Interest/Late fee on Income Tax/TDS	403	942
Auditors Remuneration ( Statutory Audit )	30,000	30,000
Auditors Remuneration ( Tax Audit )	-	25,000
CSR Payment	-	-
Bank Charges	1,248	1,888
Misc Exp.	14,665	5,400
<b>Total</b>	<b>214,216</b>	<b>308,759</b>

**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर अन्य टिप्पणियां**

14. वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अप्रयुक्त निधि में से बाह्य पार्टी को कोई अदायगी नहीं की है। इस अनुदान में से की गई अदायगी को निर्माण लागत से संबंधित व्यय के रूप में माना जाता है, जो इसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है।
15. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा), प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ), गृह मंत्रालय (एमएचए), नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार राइट्स लिमिटेड और अन्य निष्पादन एजेंसियों के पास लंबित अप्रयुक्त शेष और उस पर अर्जित ब्याज प्रधान लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय का है।
16. दिनांक 31.03.2020 को रु.5,69,73,349/- का अनुदान का बकाया शेष है (डीपीएचसी लिमिटेड का रु.1,24,45,324/- और निष्पादन एजेंसियों का रु.4,45,28,025/-) और अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रुपए शून्य प्राप्त हुए तथा इन अनुदानों में से राइट्स लिमिटेड और अन्यो को अदा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.79,30,027/- का उपयोग किया गया। इन अप्रयुक्त अनुदानों को तुलन-पत्र में अन्य चालू देयताओं के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इसे लाभ और हानि का विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता मिली है एक अवधि के बाद संबंधित लागत, जिसकी लेखांकन मानक-12 के अनुसार क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, का मिलान करना आवश्यक है।
17. कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।
18. लेखा मानक-15 कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी का अपना कोई कर्मचारी नहीं है।
19. प्रबंधन कार्मिकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

**Other Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2020**

14. During the financial year the company did not make any payment to outside agencies from the unutilized funds. The Payment made out of this grant is treated as expenditure relating to Construction Cost assuming the same utilized for the purpose.
15. The unspent balance alongwith interest accrued thereon pending with Rites Limited and other Executing Agencies belongs to PAO, MHA as per directions of Sr. AO(A/Cs) Principal Accounts Office (PAO), Ministry of Home Affairs (MHA), New Delhi.
16. There was outstanding balance of grant Rs.5,69,73,349/- as on 31.03.2020 (Rs.1,24,45,324/- with DPHC Ltd and Rs.4,45,28,025/- with Executing Agencies) and Rs. Nil received during the Financial Year 2019-20 as grant and out of these grants Rs.79,30,027/- has been utilized during the Financial Year 2019-20 by making payment to Rites Limited and others. These unutilized grants are shown in other current liabilities in the Balance Sheet as it is recognized on a systematic basis in the Statement of Profit & Loss over the period necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate as per Accounting Standard – 12.
17. There is no Contingent liability of the Company.
18. AS-15 is not applicable to the company since the company does not have any employee its own.
19. The details of Management Personnel are as follows:

क्रसं0 S. No.	निदेशक के नाम Director's Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	त्यागपत्र की तारीख Date of Resignation
1.	श्री एस. निथियानंदम Sh. S.Nithianandam	प्रबंध निदेशक Managing Director	10/01/2020	जारी Continuing
2.	श्री डी. एन. सिंह Shri D. N. Singh	निदेशक (संरक्षे दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि) Director (Representative of GNCTD)	04/04/2019	जारी Continuing
3.	श्री श्रीशैल मल्गे Shri Shreeshail Malge	निदेशक (गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि) Director (Representative of MHA)	08/01/2019	जारी Continuing

20. कंपनी चालू कर आस्तियों और देयताओं को समाप्त करती है, जहां इसे कानून योग्य अधिकार हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक – 22 “आय पर करों के लिए लेखांकन” के अनुसार निवल आधार पर ऐसी आस्तियों और देयताओं के समाधान करना होता है तथा तदनुसार, कर के लिए

20. The Company offsets, the current tax assets and liabilities, where it has legally enforceable right and where it intend to settle such assets and liability on a net basis in accordance with Accounting Standard – 22 “Accounting for Taxes on Income” issued by ICAI and accordingly Provision for Tax, Advance Tax & TDS receivable

प्रावधान अग्रिम कर और प्राप्तव्य स्रोत पर कटौती को वित्तीय विवरणिकाओं में दिखाया गया है।

(राशि रुपयों में)

कर के लिए प्रावधान	20,17,822
अग्रिम कर	13,97,186
स्रोत पर कर की कटौती प्राप्तव्य	8,20,969
आयकर (स्रोत पर कर की निवल कटौती और अग्रिम कर)	(2,00,333)

21. प्रति शेयर मूल उपार्जन/अवमिश्रित की गणना लेखे के अनुसार वर्ष के लिए कराधान के बाद निवल लाभ को विभाजित की गई है, जो वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या में से ईक्विटी शेयर धारकों के लिए उत्तरदायी है।

प्रति शेयर उपार्जन की गणना	Calculation of EPS	As on 31.03.2020 को	As on 31.03.2019 को
वर्ष के लिए निवल लाभ	Net Profit for the year	59,99,189	56,21,749
ईक्विटी शेयरों की संख्या	No. of equity Shares	5,00,000	5,00,000
प्रति शेयर मूलभूत और तरलीकृत अर्जन	Basic and Diluted EPS	12.00	11.24
प्रति शेयर अंकित मूल्य	Nominal Value per share	100	100

22. कंपनी की लघु उद्योग/उपक्रमों के प्रति कोई देयताएं नहीं हैं।  
23. कंपनी ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए भुगतान नहीं किया है।  
24. कुछ पक्षकारों के शेष और अग्रिम पुष्टि के अधीन हैं।

shown as follows in financial statements.

Provision for Tax	20,17,822
Advance Tax	13,97,186
TDS receivable	8,20,969
Income Tax (Net of TDS & Advance Tax)	(2,00,333)

21. Basic/Diluted Earning Per Shares has been calculated by dividing net profit after taxation for the year as per accounts, which is attributable to equity shareholders by numbers of equity shares outstanding at the end of the year.

ए. के. जैन एंड एसोशिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन सं. 000865एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से  
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.  
(सीए अरुण कुमार जैन)  
भागीदार  
सदस्यता सं. 080666

ह.  
(एस. निथियानंदम)  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन सं. 06943635

ह.  
(श्री श्रीशैल मल्गे)  
निदेशक  
डीआईएन सं. 08323795

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 26.08.2020

**For A K Jain & Associates**  
**Chartered Accountants**  
**FRN No.000865N**

**For and on behalf of the Board of Directors of**  
**Delhi Police Housing Corporation Ltd.**

Sd/-  
**(CA Arun Kumar Jain)**  
Partner  
M.No.080666

Sd/-  
**(S.Nithianandam)**  
Managing Director  
DIN No. 06943635

Sd/-  
**(Shreshail Malge)**  
Director  
DIN No. 08323795

Place : New Delhi  
Date : 26.08.2020

मैसर्स ए. के. जैन एंड एसोशिएट्स  
सनदी लेखाकार  
52/58, रामजस रोड करोल बाग नई दिल्ली- 110005,  
फोन नं.-28720680,9350857962

M/S A K Jain & Associates  
Chartered Accountants  
52/58, Ramjas Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005  
Ph. 28720680,9350857962

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,  
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड,

### एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

#### राय

हमने इसके साथ संबद्ध दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 के तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित सूचना को देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, 31 मार्च, 2020 को कंपनी के कार्य की स्थिति, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ एवं उसके नकद प्रवाह की पुष्टि में सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

#### राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एएस) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत, हमारे दायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए 'लेखापरीक्षक का दायित्व' के भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत नियमावलियों के तहत वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र कंपनी है, तथा हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य वित्तीय विवरण हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित हैं।

## Independent Auditor's Report

To the Members of  
DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

### REPORT ON THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

#### Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED (THE COMPANY) which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2020, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Financial Statement give the information required by the Companies Act, 2013["Act"] in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2020, its profit and Loss Statement its cash flows for the year ended on that date.

#### Basis for Opinion

We conducted our audit of the Financial Statement in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of The Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities' for the Audit of the Financial Statement section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statement under the provisions of The Companies Act, 2013 and the Rules made there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Financial Statement.



## मुख्य लेखापरीक्षा के मामले

मुख्य लेखापरीक्षा के मामले, वे मामले हैं जो कि हमारे व्यावसायिक निर्णय में चालू अवधि की वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। ये मामले पूर्णतः वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा और उस पर हमारी राय को सूचित करने के संदर्भ में संबोधित थे तथा हम इन मामलों पर कोई पृथक राय नहीं देते। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने के लिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले निर्धारित किए हैं:

क्र सं	मुख्य लेखापरीक्षा मामले
1.	ठेकेदार को प्रदत्त अतिरिक्त राशि की वसूली
क्र सं	लेखापरीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	प्रबंध समिति द्वारा अनुवर्तन किया जा रहा है।

## अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अपनी रिपोर्ट (यहां और इसके बाद 'बोर्ड रिपोर्ट') को तैयार करने एवं प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार हैं। बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अंतर्गत अपेक्षित विभिन्न सूचनाएं शामिल हैं लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बोर्ड रिपोर्ट को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी आश्वासनात्मक निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते।

वित्तीय विवरणिका की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व बोर्ड की रिपोर्ट को पढ़ना है तथा ऐसा करने में विचार करें कि क्या बोर्ड रिपोर्ट भौतिक रूप से असंगत तो नहीं अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान अथवा अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि हमारे निष्पादित कार्यों के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री मिथ्या वर्णन हैं, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

## एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय लेखा मानक तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और कंपनी के नकद प्रवाहों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के

## KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Financial Statements as a whole, and informing our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

S. No.	Key Audit Matter
1.	Recovery of excess amount paid to contractors
S. No.	Auditors' Response
1.	Being followed up by the management.

## Other information

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of its report (herein after called as "Board Report") which comprises various information required under section 134(3) of the Companies Act 2013 but does not include the financial statement and our auditor's report thereon. Our opinion on the financial statement does not cover the Board Report and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statement, our responsibilities is to read the Board Report and in doing so, consider whether the Board Report is materially inconsistent with the financial statement or our Knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

## Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the Ind-AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets



सुरक्षार्थ तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सत्य व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कंपनी के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील संस्था से जुड़े मामलों के, यथा लागू, प्रकटन और संस्था का लेखांकन कार्यशील संस्था के अधार पर करने के लिए कंपनी की प्रबंध समिति उत्तरदायी होगी जब तक कि प्रबंध समिति का इरादा परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

### लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त है तथा इस बारे में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इन लेखा मानकों सहित लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम:

- I. वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और हमारी राय के लिए आधार प्रदान हेतु पर्याप्त एवं यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं

of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

### Auditor's Responsibility

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- I. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than



बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- II. लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम कंपनी में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण की सक्रियप्रभावकारिता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- III.. प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- IV. प्रबंधतंत्र द्वारा कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्त्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो कंपनी की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्त्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करें, अथवा, ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपनी राय में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। हालांकि भावी घटनाएं अथवा स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे कंपनी कार्यशील कंपनी के रूप में अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।
- V. प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्राप्त हो सके।  
भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम है, जो अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरण एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) अपनी लेखापरीक्षा कार्य की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों के मूल्यांकन में और (ii) वित्तीय विवरणों में कोई भी पहचान की गई गलतबयानी विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक, भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- II. Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- III. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- IV. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or condition may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- V. Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decision of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Financial Statements.



हम अन्य मामलों के साथ शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों के साथ अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में सूचित करते हैं।

हम शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों को उन विवरणों को उपलब्ध कराते हैं जिन्हें हमने संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता अनुकूल उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में संवाद करते हैं।

शासन से प्रभावित संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने से ऐसा करने के दुष्परिणामों की अपेक्षा की जाएगी।

#### अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") में अपेक्षित अनुसार हम जहां तक लागू होता है, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण को "अनुलग्नक क" पर प्रस्तुत हैं।  
अधिनियम की धारा 143(3) में यथापेक्षित लागू होने वाली सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - (क) हमने रिपोर्ट में उक्त दिए गए मामलों को छोड़कर वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
  - (ख) हमारी राय में, कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियां रखी हैं, जो नियमानुसार आवश्यक हैं, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है।
  - (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र और लाभ व हानि विवरणिका एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं।
  - घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied that relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

#### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2016("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the order, to the extent applicable.
2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except on the matters given above in the report.
  - b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
  - c) the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
  - d) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;





- ड) 31 मार्च, 2020 का निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर, निदेशक मंडल ने अभिलेखित किया कि अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2020 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है;
- (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, अनुलग्नक 'ख' पर हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
- (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार;
- कंपनी का कोई लंबित मुकद्दमा नहीं है।
  - कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि का प्रश्न नहीं उठता;
  - ऐसे कोई मामले नहीं हैं जहां कंपनी द्वारा राशि को निदेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना है।
3. अधिनियम की धारा 143(5) में अपेक्षित अनुसार कंपनी की बहियों और रिकॉर्ड की जांच के बाद हमें उपयुक्त प्रतीत हुआ तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों में शामिल विषयों पर रिपोर्ट **अनुलग्नक 'ग'** पर है।
- e) On the basis of written representations received from the directors as on 31 March, 2020, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March, 2020, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act;
- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure B".
- g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us:
- The Company has no pending litigation.
  - The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts; as such the question of commenting on any material foreseeable losses thereon does not arise.
  - There were no amounts required to be transferred to investor education and protection fund by the company.
3. As required by section 143(5) of the Act, on the basis of examination of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, the report on the matters covered by the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India is annexed herewith as per "**Annexure-C.**"

कृते ए. के. जैन एंड एसोशिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन सं.-000865एन

ह.  
(सीए अरुण कुमार जैन)  
भागीदार  
सदस्यता सं.-080666

For **A K Jain & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN No.000865N



*(Handwritten Signature)*

**(CA Arun Kumar Jain)**  
Partner  
M.No.080666

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 26.08.2020

Place : New Delhi  
Date : 26.08.2020

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के सदस्यगणों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

- (i) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है इसलिए यह बिंदु लागू नहीं है।
- (ii) जैसा कि कोई माल-सूची नहीं है, कंपनी पर खंड (ii) लागू नहीं है।
- (iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों किसी को प्रतिभूत/अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iii) लागू नहीं है।
- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- (v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है।
- (vi) जैसा कि हमें सूचित किया गया कि केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण को विनिर्धारित नहीं किया है।
- (vii)(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी खाता बहियों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा-कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, मूल्य योजित-कर, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों सहित जो कंपनी पर लागू सामान्यतः अविवादित सांविधिक देयों को जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अदायगी योग्य तारीख से छह मास से अधिक की अवधि के लिए उक्त सांविधिक देय बकाया नहीं है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण आयकर, बिक्री-कर, सेवा-कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, मूल्य योजित-कर के देयों का कोई बकाया नहीं है।
- (viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है। वर्ष के दौरान, कंपनी के पास किसी वित्तीय संस्थान अथवा डिबेंचर धारकों के प्रति कोई बकाया नहीं है।

**Annexure "A To The Independent Auditor's Report to the members of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED on the financial statements for the year ended 31st March 2020.**

- (i) The company has no fixed assets; hence this point is not applicable.
- (ii) As there is no inventory clause (ii) is not applicable to the company.
- (iii) According to the information and explanations given to us, the company has not granted any loans, secured or unsecured to the companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Act. Accordingly paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, in respect of loans, investments, guarantees, and security.
- (v) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits during the year.
- (vi) As informed to us the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records u/s. 148(1) of the Act.
- (vii) (a) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues which are applicable to the Company including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value added Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above statutory dues in arrears as at the end of the financial year as at 31st March 2020 for a period of more than six months from the date they become payable.
- (b) According to the information and explanation given to us, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax outstanding on account of any dispute.
- (viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loan from banks and financial institutions. The Company did not have any outstanding dues to any financial institution or debenture holders during the year.



- (ix) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने प्रबंध समिति द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव अथवा ऋण सहित प्रारंभिक प्रस्ताव के रूप में धनराशि नहीं बढ़ाई है।
- (x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर अथवा कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी न ही नोटिस अथवा रिपोर्ट की गई न ही प्रबंध समिति द्वारा ऐसे मामलों को सूचित किया गया है।
- (xi) कंपनी ने अपनी प्रबंध समिति को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है इसलिए यह मद लागू नहीं है। अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन अधिदेशी है।
- (xii) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतएव आदेश का खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xiii) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन नहीं हुआ। अतः यह मद लागू नहीं है।
- (xiv) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन अथवा निजी नियोजन अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।
- (xv) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा कंपनी से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नकदीतर लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।
- (xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है तथा तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

कृते ए. के. जैन एंड एसोशिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन सं.-000865एन

ह.  
(सीए अरुण कुमार जैन)  
भागीदार  
सदस्यता सं.-080666

- (ix) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not raised moneys by way of initial public offer or public offer including debt.
- (x) According to the information and explanations given to us, no fraud on or by the company buy its officers or employees has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.
- (xi) The company had not paid any remuneration to its management hence this point is not applicable. The requisite approval mandated by the provision of section 197 read with schedule v to the Act.
- (xii) In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 3 (xii) of the Order are not applicable to the Company.
- (xiii) There are no related party transactions during the year; hence this point is not applicable.
- (xiv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3 (xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- (xv) Based upon the audit procedure performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with Directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- (xvi) In our opinion, the company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause 3 (xvi) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

For **A K Jain & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN No.000865N



*(Signature)*

**(CA Arun Kumar Jain)**  
Partner  
M.No.080666

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 26.08.2020

Place : New Delhi  
Date : 26.08.2020

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड ('कंपनी') के 31 मार्च, 2020 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के एकल विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी (आई सी ए आई) में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी की प्रबंध समिति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

**लेखापरीक्षक का दायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा तक लागू लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी ("दशानिर्देश टिप्पणी") के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा है

**ANNEXURE "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED**

**Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** ('the Company') as of 31<sup>st</sup> March 2020 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

**Management's Responsibility for Internal Financial Controls**

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

**Auditors' Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note, to the extent applicable to an Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that



कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जांच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। नियुक्त की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल करें।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

### वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

- (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं,
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन का आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियां और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, बचाव अथवा समग्र अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंध उचित आश्वासन प्रदान करना कि उन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

### Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.



## वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रक्षेपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

### राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नांकित विषयों को छोड़कर जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सक्षम नहीं है, कंपनी के पास भी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2020 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे:

1. शेष पर अर्जित ब्याज / ठेकेदारों के पास पड़ी धनराशि।
2. परियोजनाओं के पूर्ण होने और सौंपे जाने के बावजूद ठेकेदारों को प्रदत्त अतिरिक्त राशि की गैर-वसूली।
3. सावधि जमा रसीदों के लिए निधियों के आवंटन की प्रणाली और उस पर अधिकतम वापसी पाना।

कृते ए. के. जैन एंड एसोशिएट्स  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन सं.-000865एन

ह.  
(सीए अरुण कुमार जैन)  
भागीदार  
सदस्यता सं.-080666

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 26.08.2020

## Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India except the following areas where the internal control systems are not adequate:

1. Interests earned on balance/idle funds lying with the contractors.
2. Non recovery of excess amount paid to contractor despite the projects had been completed and handed over.
3. System of allocation of funds for FDR & getting optimum returns thereon.

For **A K Jain & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN No.000865N



(**CA Arun Kumar Jain**)  
Partner  
M.No.080666

Place : New Delhi  
Date : 26.08.2020

नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5)  
के अंतर्गत निर्देश

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड  
वित्तीय वर्ष : 2019-20

Directions under Section 143(5) of the new  
Companies Act, 2013

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED  
F.Y. 2019-20

क्रसं.	विवरण	Sr.No.	Particulars
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से भी लेखांकन लेन-देन को प्रक्रमित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखा की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन-देन की प्रक्रमण के निहितार्थ यदि कोई है, का उल्लेख करें।	1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.
उत्तर	कंपनी की अपने लेखांकन कार्य-विवरण के लिए कोई आईटी प्रणाली नहीं है। कंपनी अपने लेखांकन कार्य-विवरण का लेखा-जोखा रखने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती है।	Reply	The company does not have IT system to process its accounting transactions, The company follows accounting software Tally to record its accounting transactions.
2.	क्या ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के मौजूदा ऋण या माफी/बट्टे-खाते में डालने को पुनर्गठित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to reply the loan? If yes, the financial impact may be stated.
उत्तर	ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	Reply	There is no case of waiver/write off of any debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to reply the loan.
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का समुचित हिसाब/इसके नियम और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया? व्यतिक्रम मामलों को सूचित करें।	3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/used as per its term and conditions? List the cases of deviation.
उत्तर	वर्ष के दौरान कोई अनुदान नहीं मिला। कंपनी को केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी के पास लंबित अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग अनुदान के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।	Reply	No grants received during the year. The Company has not received any grants from Central/State agencies unutilized funds pending with the company are being utilized as per terms & conditions of grant.



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा—(गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)  
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली—110 002

सं. ऐएमजी-1/पीएसयू/डीपीएचसीएल/9-26/20-21/353

सेवा में,

अध्यक्ष  
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड  
के-ब्लॉक, विकास भवन  
आई. पी. एस्टेट  
नई दिल्ली-110002

दिनांक : 30.12.2020

**विषय : भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) (बी) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां**

महोदय,

मैं इसके साथ दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां को अग्रेषित करता हूं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

ह.

(सुनील एस दधे)

महानिदेशक लेखापरीक्षा  
(गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)  
नई दिल्ली

संलग्नक: उपरोक्त

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 30.12.2020

दूरभाष : 91-1123702422,  
फैक्स : 91-1123702271

डीजीएसीआर, बिल्डिंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002  
ई-मेल : pdaahesd@cag.gov.in





कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)  
Office of the Director General of Audit (Home, Education and Skill Development)  
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002  
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

No. AMG-I/PSU/DPHCL/9-26/2020-21/353

Dated: 30.12.2020

To,

The Chairman,  
Delhi Police Housing Corporation Limited,  
K-Block, Vikas Bhawan,  
I.P. Estate, New Delhi-110 002


**Sub: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Delhi Police Housing Corporation Limited for the year ended 31 March 2020.**

Sir,

I forward herewith the Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Delhi Police Housing Corporation Limited for the year ended 31 March 2020.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

  
30.12.2020

(Sunil S Dadhe)

**DIRECTOR GENERAL OF AUDIT**  
(Home, Education & Skill Development)  
**NEW DELHI**

Encl: As stated above.

New Delhi,  
Dated: 30.12.2020



Statutory Auditor  
C.A. / C.S. / SO for M/A

  
SP. CP / MD/DPHC  
30-12-2020

**दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी**

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकों को कंपनी अधिनियम में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित लेखापरीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा-143 के तहत वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी 26 अगस्त, 2020 के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इसे पूर्ण किया हुआ, माना जाना चाहिए।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिकाओं पर अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षण स्वतंत्र ढंग से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजात को देखे बगैर किया गया है तथा यह प्राथमिकतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ विशेष नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे।

भवदीय

ह.

(सुनील एस दधे)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)

नई दिल्ली

संलग्नक: उपरोक्त

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30.12.2020

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020**

The preparation of financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26.08.2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2020 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

Yours faithfully,



(Sunil S Dadhe)

**DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
(Home, Education & Skill Development)  
NEW DELHI**

Encl: As stated above.

New Delhi,  
Dated: 30.12.2020

